▸▸ कृषि ▸▸ विश्लेषण ▸▸ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/-रू.

कार्तिक–मार्गशीर्ष 2078, नवंबर 2021

स्वदेशी पत्रिका और स्वदेशी परिवार की ओर से
स्वदेशी के सभी पाठकों, लेखकों तथा
स्वदेशी में योगदानकर्त्ता को

दीपावली की
हार्दिक शुभकामनाएं

स्वदेशी गतिविधियां

जन–जागरण कार्यक्रम, ब्रह्मपुर, उड़ीसा

सचित्र झलक

स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–29, अंक–11
कार्तिक–मार्गशीर्ष 2078 नवंबर 2021

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **34-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

अ नु क्र म

आवरण कथा – पृष्ठ–06

धरती को बचाने के लिए गंभीर प्रयास की जरूरत

के.के. श्रीवास्तव

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आवरण कथा
जलवायु परिवर्तन का सामना जरूरी
.... अनिल जावलेकर

10 आवरण कथा
परंपरागत प्रकृति प्रेम से ही बचेगी पृथ्वी
.... अनिल तिवारी

13 परियोजना
गतिशक्तिः प्रौद्योगिकी शक्ति परियोजनाओं को गति
.... डॉ. अश्वनी महाजन

15 देश-विदेश
चीन में आर्थिक संकटः दुनिया के लिए भी खतरा
.... विक्रम उपाध्याय

16 स्वास्थ्य
आयुर्वेदः विश्वास ही नहीं, विज्ञान भी
.... डॉ. जया कक्कड

19 विश्लेषण
पशुधन से देश का आर्थिक विकास
.... डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

21 मुद्दा
बिजली संकट को टालिए मत, सामना कीजिए
.... डॉ. भरत झुनझुनवाला

23 कृषि
दौलत उगाते किसान को भी समृद्ध कीजिए
.... देविन्दर शर्मा

25 जल प्रबंधन
घर–घर में नल, हर नल में जल
.... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

27 जैविक खेती
जैविक खेती से होगी पर्यावरण की रक्षा
.... शिवनंदन दास

29 आजकल
तालिबानी कट्टरवाद की आग में झुलसने को मजबूर अफगानी महिलाएं
.... डॉ. मनमोहन सिंह सिसौदिया

33 व्यक्तित्व
एक महान व्यक्तित्वः पंडित दीनदयाल उपाध्याय
.... मुकेश कुमार वर्मा

पाठकनामा

प्रदूषण से बिगड़ता दिल्ली का स्वास्थ्य

भारत तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगा हुआ है। विकास के नाम पर प्रकृति के साथ हो रही छेड़छाड़ से प्रदूषण की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। देश की राजधानी की ही बात करें तो दीपावली के बाद जिस तरह से वायु प्रदूषण का सूचकांक गंभीर रूप से बढ़ा है, इससे यहां के आम नागरिक हतप्रभ हैं। सांस लेने में समस्या और आंखों में होती जलन से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। रोजगार की तलाश में देश सहित विदेश के कई हिस्सों से आए लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन शासन–प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है।

दिल्ली की सरकार इसे यूपी और हरियाणा की समस्या बता रही है। कुछ लोग इसे किसानों के द्वारा जलाई जा रही पराली के धुएं को इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं। अभी–अभी दो दिन पहले छठ व्रत के दौरान जमुना नदी के झाग में खड़ी होकर श्रद्धालु महिलाओं को पूजा पाठ करते देखा गया। इसी यमुना के पानी से नदी के किनारे बोई जाने वाली सब्जियों को दिल्ली का आम शहरी खरीद कर खा रहे है और अनजाने में रोग को निमंत्रित कर रहे है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पहली बार सामने नहीं आई है, यह पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ रही है। लेकिन इससे बचने के लिए न तो दिल्ली की और न ही केंद्र की सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए। हाल के दिनों में रेड लाइट ऑन और गाड़ी आफ का स्लोगन देकर हालांकि ढ़ेर सारे नौजवानों को चौराहे पर खड़ा किया गया है। रोजगार की तलाश में भटक रहे नौजवान अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर यह काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इसके बारे में कुछ और सोचना चाहिए। करोड़ों रुपये की होर्डिंग लगाकर अपना प्रचार करने वाली दिल्ली की सरकार ने रोजगार के नाम पर नौजवानों को प्रदूषण भरे सड़क पर खड़ा कर दिया है। हमारा कहना है कि जिस तरह देश में कई कार्यक्रम एक मिशन के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, उसी तरह प्रदूषण को लेकर भी एक व्यापक मिशन चलाया जाना चाहिए और वह मिशन केवल कागजी न हो, बल्कि धरातल पर भी उतरे, तभी दम घोटू प्रदूषण से दिल्ली के आम नागरिकों को राहत दिलाई जा सकती है।

डॉ. पराक्रम सिंह, धुधुरी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

कोविड महामारी से उत्पन्न खतरे के बावजूद, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था वापस उछाल की क्षमता और आत्मविश्वास दिखा रही है। यहां तक कि कई तिमाहियों से व्यापार के त्वरित स्थिरीकरण और बहाली की भी खबर है।

डॉ. मोहन भागवत
सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

मैं आपको फिर से कहूंगा कि हमें हर छोटी–छोटी चीज खरीदने पर जोर देना चाहिए, जो कि मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में एक भारतीय पसीना बहाता है और यह सभी के प्रयास से ही संभव होगा।

नरेन्द्र मोदी,
प्रधानमंत्री, भारत

ई–ट्रांसमिशन पर टैरिफ स्थगन के राजस्व निहितार्थ पर भारत की चिंता वैध है क्योंकि विकासशील देशों को अपनी विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक राजस्व की आवश्यकता है।

डॉ. अश्वनी महाजन,
राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

फूट रहा चीनी बुलबुला

अभी हाल ही तक दुनिया में अर्थशास्त्रियों और नीति विश्लेषकों का अधिकतर यह तर्क हुआ करता था कि दुनिया को चीन से सीखने की जरुरत है। भारत में भी कई अर्थशास्त्री इसी प्रकार की सलाह देते नजर आ रहे थे। वे अर्थशास्त्री चीन में औद्योगिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के परिणामों से अभीभूत थे। लेकिन पिछले कुछ समय से चीन में औद्योगिक गिरावट और अन्यान्य संकटों के समाचारों ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। अब कुछ लोग तो चीन के विकास मॉडल पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। चीन में पिछले कुछ वर्षों और खासतौर पर कोरोना के पश्चात होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना दुनिया के लोगों के लिए जरुरी हो गया है, ताकि विश्व के देश चीन की वास्तविकता को समझकर उसके प्रति अपने नजरिए को दुरुस्त करें और अपने विकास के लिए उचित मार्ग का चयन भी करें।

कोई जमाना था जब चीन 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की दर से औद्योगिक विकास कर रहा था। बड़े पैमाने पर औद्योगिक ईकाईयां लग रही थी और उनमें अपार उत्पादन को दुनिया के बाजारों में आक्रामक तरीके से खपाता जा रहा था। उसके लिए सरकारी मदद से सामानों को सस्ता तो किया ही जा रहा था, 'अंडर इनवॉईसिंग', डंपिंग, घूसखोरी समेत तमाम प्रकार के अनुचित और गैरकानूनी हथकंडे अपनाकर भी दुनिया के बाजारों पर चीन का कब्जा बढ़ता जा रहा था। इन सब कारगुजारियों को देखकर भी अनदेखा करते हुए दुनिया भर में नीति निर्माता चीन के इस आक्रमण का प्रतिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि चीन में औद्योगिक कार्यकुशलता को इसका श्रेय दे रहे थे। उनका तर्क यह था कि चीन से सस्ते आयातों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ता साजो–सामान मिल रहा है। रेलवे, बंदरगाह, सड़क, एयरपोर्ट, पुल, बिजली घर, औद्योगिक शोध एवं विकास केंद्र समेत इन्फ्रास्ट्रक्चर में चीन की अभूतपूर्व प्रगति ने दुनिया की आंखें चौंधिया दी थी। दुनिया के लगभग सभी देशों में चीन की कंपनियां इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण में संलग्न थी और चीनी सरकार की आर्थिक मदद से वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण में सहयोग के नाम पर सरकारों पर अपना दबदबा बनाकर, वहां की नीतियों में दखल भी दे रही थी।

चीन के लगातार बढ़ते तैयार माल के निर्यातों और अत्यंत सीमित आयातों (खासतौर पर कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं) के कारण व्यापार शेष में बढ़ते अतिरेक के चलते चीन के पास विदेशी मुद्रा का भंडार उफान ले रहा था। उस बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडारों के दम पर चीन की सरकार अफ्रीका समेत कई मुल्कों में जमीनों का अधिग्रहण तो कर ही रही थी, बड़ी मात्रा में यूरोपीय, अमरीकी और एशियाई देशों में कंपनियों को भी उन्होंने अधिग्रहित कर लिया। स्थान–स्थान पर 'बेल्ट रोड' परियोजनाओं को चीन आसानी से लागू करवा पा रहा था। हालांकि कई देशों में चीनी दबदबे के कारण स्थानीय जनता का कुछ विरोध देखने को मिल रहा था, लेकिन उन देशों की सरकारों में भ्रष्टाचार और चीनी सरकार के डर के कारण, चीन बेधड़क अपनी उपस्थिति बढ़ाता जा रहा था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि चीन आर्थिक संकट में आ सकता है। लेकिन संकेतों की मानें तो चीन के विकास को लगाम तो लगी ही है, साथ ही चीन भीषण संकट में फंसता दिखाई दे रहा है। ऊर्जा संकट के चलते चीन में पावर कट के कारण कई फैक्ट्रियां या तो बंद है अथवा अधूरे रुप से चल रही है। यह समस्या 20 प्रांतों में है। इस संकट के कारण गोल्डमैन सैक और नोमुरा नाम की एजेंसियों ने चीन के ग्रोथ के अनुमान को काफी घटा दिया है।

चीन की दूसरी सबसे बडी रियेल स्टेट कंपनी एवरग्रांड की 300 अरब डालर से भी ज्यादा देनदारियों के कारण चीन के प्रॉपर्टी मार्केट की ही नहीं लोगों के वित्तीय व्यवस्थाओं में विश्वास में भी भारी कमी आई है। रियेल इस्टेट मार्किट का बुलबुला न फट जाए, इसलिए चीन के कम्युनिस्ट शासकों ने कई अधूरी बनी गगनचुंबी इमारतों को ध्वस्त कर दिया है।

आक्रामक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का शिकार बनाने के लिए उसने धूमधाम से 'बेल्ट रोड योजना' की शुरुआत कर 65 देशों को उसमें शामिल कर लिया। लेकिन नापाक इरादों के कारण आज वह दुनिया भर में बदनाम हो चुका है। परियोजना के नाम पर उसने बीसियों देशों को अपने कर्जजाल में फंसाकर उनके सामरिक महत्व वाली परियोजनाओं को हथियाना शुरू कर दिया। श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह उसकी बदनीयती का जीता जागता उदाहरण बना।

आज दुनिया को यह स्पष्ट रुप से लग रहा है कि महामारी के कारण विश्व जिस स्वास्थ और आर्थिक संकट से गुजरा है उसके मूल में कहीं ने कहीं चीन है। दुनिया को यह भी समझ आ रहा है कि भूमंडलीकरण की आड़ में जैसे औद्योगिक वस्तुओं के लिए चीन पर निर्भरता बढी, उसने उनकी अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त किया है और उसके कारण गरीबी और बेरोजगारी भी बढ़ी है। भारत, अमरीका, यूरोप समेत दुनिया भर के देश आत्मनिर्भरता की और कदम बढ़ाते दिख रहे हैं। चीन के प्रति विमुखता के कारण विभिन्न देशों द्वारा चीन से आयात घटाने के प्रयास शुरू हुए हैं, जिससे उसके औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ रहा है। बेल्ट रोड समझौते रद्द होने के कारण चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां संकट में हैं। चीन की वित्तीय संस्थाएं भी संकट में है और लोगों की वित्तीय बचत डूबने लगी है।

उधर चीन पहले समुद्र में अपनी सामरिक शक्ति के प्रदर्शन द्वारा भारत सहित कई मुल्कों को डराने का प्रयास कर रहा था। उसके मद्देनज़र भारत, आस्ट्रेलिया, अमरीका और जापान के समूह 'क्वाड' के तत्वाधान में सैन्य अभ्यासों ने चीन को चुनौती दी हुई है।

भारत ने नवंबर 2019 को पिछले लगभग एक दशक से चल रहे 'आरसीईपी' समझौते से बाहर आकर चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। संकटों में घिरे चीन के हुकमरान अपनी ओर से ऊपरी दृढ़ता दिखाकर दुनिया को भरमाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन समझना होगा कि भारत सहित दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए यह एक बड़ा अवसर भी है कि वे अपने देशों में औद्योगिक प्रगति को गति दे और सस्ती लेकिन घटिया चीनी साजो–समान का मोह त्यागकर आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर हों। चीनी कंपनियों को किसी भी प्रकार के ठेके न दिए जाए। जिन मुल्कों ने बेल्ट रोड परियोजना पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, वे इस परियोजना से बाहर आकर अपने–अपने देशों को कर्जजाल से मुक्ति दिलाएं।

धरती को बचाने के लिए गंभीर प्रयास की जरूरत

एक बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य आखिर कैसे हासिल होगा? पर्यावरण के बिगड़ते मिजाज एवं जलवायु परिवर्तन के घातक परिणामों ने जीवन को जटिल बना दिया है। गौरतलब है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए विकसित देशों को गरीब मुल्कों की मदद करनी थी, इसके लिए 2009 में एक समझौता भी हुआ था जिसके तहत अमीर देशों को हर साल 100 अरब डालर विकासशील देशों को देने थे, परंतु विकसित देश इससे पीछे हट गए। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने की मुहिम को भारी धक्का लगा। इसलिए अब समय आ गया है जब विकसित देश इस बात को समझें कि जब तक वह विकासशील देशों को मदद नहीं देंगे, तो कैसे ये देश अपने यहां ऊर्जा संबंधी नए विकल्पों पर काम शुरू कर पाएंगे?

वैज्ञानिक और पर्यावरणविद् की चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले दशकों में विश्व का तापमान और बढ़ेगा। इसलिए अगर दुनिया अभी नहीं सचेत होगी तो 21वीं सदी को भयानक आपदाओं से कोई नहीं बचा पाएगा। रोम में संपन्न हुए जी–20 सम्मेलन में सभी देश धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करने पर राजी हुए हैं। इसके अलावा उत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए तथ्य निर्धारित किए गए हैं। जी–20 ने तो शताब्दी के मध्य तक कार्बन न्यूट्रिलिटी तक पहुंचने का वादा भी किया है। सम्मेलन में भी भारत की रणनीति धनी देशों पर 100 अरब डालर की आर्थिक सहायता और खाद्य तकनीक के हस्तांतरण पर दबाव बनाने की रही है। अमीर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य विकासशील देश और गरीब देशों पर थोपने में लगे हैं। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन जैसे देश भी कोयले से चलने वाली बिजली घरों को बंद नहीं कर पा रहे, इसलिए यह चिंता बढ़ गई है कि सम्मेलन से ठीक पहले इटली में समूह के नेताओं की बैठक में सदस्य

वर्ष 1990 से 2018 के बीच का उत्सर्जन स्तर

(मिलियन टर्न से CO_2 समतुल्य)

	1990	2018
विश्व	32646	48940
यू.एस.	5543	5794
चीन	2874	11706
भारत	1009	3347

इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान में बिगड़े जलवायु के लिए विकसित दुनिया दोषी है, लेकिन विकासशील देश प्रमुखता से इस बात को अंतरराष्ट्रीय मंचों से न उठाते हुए अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं।

– केके श्रीवास्तव

देशों के नेता इस बात पर तो सहमत हो गए कि वैश्विक तापमान डेढ़ डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, पर 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई।

प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई करने के लिए देशों को प्रेरित करने वाली वार्षिक जलवायु बैठकों के बावजूद संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके लिए जमीनी स्तर पर की गई कार्रवाई की मात्रा अपेक्षा और प्रतिबद्धता से बहुत ही कम है। अब तक घोषित प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से पूरा भी किया जाता है (जिसकी संभावना न के बराबर है), तो भी औसत तापमान 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। यह पूर्व औद्योगिक युग से परे 2 डिग्री वृद्धि के पेरिस समझौते के लक्ष्य का उल्लंघन करता है। आईपीसीसी के अनुसार इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। इस लक्ष्य को पाने के लिए 30 प्रतिशत की कटौती की आवश्यकता है जबकि वर्तमान परिदृश्य से यह साफ हो रहा है कि वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वार्षिक केवल 7.5 प्रतिशत की ही कमी आएगी। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए लगने लगा है कि पृथ्वी के 2.7 डिग्री तक गर्म होने की संभावना दो तिहाई के अनुपात से भी अधिक है, क्योंकि बहुत बार आर्थिक और विदेश नीति की अनिवार्यता पर्यावरणीय चिंताओं पर हावी हो जाती है। इसलिए भी अधिकांश देश लक्ष्य से भटक गए और जमीनी कार्रवाई को लगभग स्थगित कर दिया है। परिणाम के रूप में दिख रहा है कि नियोजित कार्रवाई की कमी के कारण आज दुनिया सतत अग्निशमन मोड में है।

वास्तव में वर्तमान प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसे देखते हुए आईपीसीसी ने हाल ही में चेतावनी दी है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि के कारण सदी के अंत तक दुनिया का वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। यह सुझाव दिया गया है कि यदि 21वीं सदी तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक कम करना है तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से 2050 तक शून्य यानि नेट जीरो तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों की गई कार्यवाई बहुत अधिक आत्मविश्वास पैदा नहीं करती है। 1990 में जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा बन गया, लेकिन 1990 से 2010 के बीच बढ़ते उत्सर्जन को रोकने के लिए बहुत ही कम काम किया गया। खासकर विकसित देशों ने वर्ष 2000 तक उत्सर्जन के 1990 के स्तर पर लौटने के पहले वाले लक्ष्य को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। क्योटो प्रोटोकॉल ने बाद में 37 अमीर और औद्योगिक देशों को अपने उत्सर्जन स्तर को सामूहिक रूप से केवल 5 प्रतिशत कम करने के लिए ही कहा। इसमें से भी अधिकांश देश इस मामूली प्रतिबद्धता को भी पूरा करने में विफल रहे। वास्तव में 2012 में अमेरिकी उत्सर्जन 1990 की तुलना में मामूली अधिक था, लेकिन 1990 से 2012 के बीच वैश्विक उत्सर्जन में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसमें प्रमुख योगदान चीन और भारत द्वारा किया गया था।

वर्ष 2007 में चीन दुनिया का प्रमुख उत्सर्जक देश बना। चीन का वर्तमान उत्सर्जन 1990 के स्तर से 4 गुना अधिक है। इसी तरह भारत का उत्सर्जन 1990 से साढे तीन गुना अधिक हो गया है, लेकिन चीन, भारत, ब्राजील आदि जैसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों को अपने उत्सर्जन में कटौती करने के लिए कहा भी नहीं गया था, क्योंकि देखा गया है कि पिछले 150 सालों में 90 प्रतिशत से अधिक संचित सीएचजीएस समृद्ध और औद्योगिक देशों के वातावरण से आया है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कम योगदान किया है।

विकसित देशों की इस बात में कोई दम नहीं है कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा गैर पर्यावरण मित्रों के अधिक प्रदूषणकारी पर कम खर्चीली विकास पद्धति से इन देशों में उत्सर्जन तेजी से बढ़ रहा है। विकसित देशों को लगता है कि उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, इसके अलावा उन्हें यह भी लगता है कि इन बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को उनकी कीमत पर अनुचित लाभ मिल रहा है। इसलिए भी क्योटो प्रोटोकोल से इतर वर्ष 2015 के पेरिस समझौते पर ज्यादा ध्यान दिया। पहले विज्ञान आधारित उत्सर्जन में कमी के लक्षण निर्धारित किए गए थे, जो प्रकृति में बाध्यकारी थे। अब स्वयं निर्धारित लक्ष्य दिए गए जो न तो किसी राष्ट्र के लिए अनिवार्य थे, न नहीं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रोत्साहन था। उदाहरण के लिए अमेरिका ने 2005 से 2025 के बीच आज तक 27 प्रतिशत और उत्सर्जन में कमी करने को कहा है लेकिन 2018 तक केवल 10 प्रतिशत की कमी हुई है। इससे भी बदतर चीन में वर्ष 2005 से 2018 के बीच लगभग 71 प्रतिशत बढ़ गया है।

विकासशील देश वास्तव में वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी की कमी के कारण जलवायु संबंधी कार्यवायी करने में अक्षम है। सभी राष्ट्रों को समान रूप से बोझ साझा करने की बात कही गई। जलवायु नियम इस प्रकार की मांग करता है कि अलग–अलग देशों को अपनी अनूठी जरूरतों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए नेटजीरो तारीखों की पेशकश करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग में निर्धारित योगदान वैश्विक उत्सर्जन के अत्यधिक स्तर को जोड़ते हैं तो इन लक्ष्यों की समीक्षा की जानी चाहिए।

(शेष पृष्ठ 18 पर)

जलवायु परिवर्तन का सामना जरूरी

इसमें कोई शंका नहीं है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसका परिणाम भी दिख रहा है। दुनिया का वैचारिक विश्व अपने तरीके से इस बात की पुष्टि भी कर रहा है। लेकिन सत्ता में बैठे राजकीय क्षेत्र के महामानव अभी भी चर्चा में लगे हुए है और कोई ठोस कार्यवाही करने से बच रहे हैं। 31 अक्तूबर से 12 नवम्बर के दरम्यान फिर एक बार सारे नेतागण चर्चा करने हेतु ग्लासगों (यूके) में जमा हो रहे है और आशा की जा रही है कि इससे कुछ अच्छा निकल आएगा। वैसे यह बात अब स्पष्ट रूप से समझने की है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसका सामना करने की तैयारी कर लेना ही आज की जरूरत है।

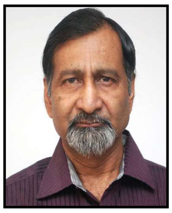

नैसर्गिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग और पर्यावरण से दुश्मनी ज्यादा दिन नहीं चल सकती। भारत ने एक मॉडल दिया हुआ है जो नैसर्गिक संसाधनों का मर्यादा में उपयोग और पर्यावरण के साथ दोस्ती की जीवन पद्धति की बात करता है। आत्मनिर्भरता और संपूर्ण जीवन इसी मॉडल से उभरेगा।

– अनिल जवलेकर

जलवायु परिवर्तन और भारतीय किसान

यह सही है कि जलवायु परिवर्तन का असर सभी क्षेत्र पर होगा। लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किसान और उसकी कृषि पर होगा। इसलिए भारत के किसान और उसकी कृषि पर होने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर ही जलवायु परिवर्तन से होने वाले तबाही का सामना करना होगा और उससे बचने के लिए तैयारी भी करनी होगी। सभी जानते है कि दुनिया भर में आँधी, तूफान, जंगलों में आग लगना और अनियमित बारिश होने की वारदातें बढ़ रही है। भारत में भी यह वारदातें बढ़ रही है और इसका प्रभाव किसान और कृषि पर पड़ रहा है। इस साल के मानसून ने जाते–जाते भी भारतीय किसानों को इसकी एक झलक दिखाई है। माना जाता रहा है कि 1850 से 1900 तक तापमान 1.1 डिग्री से बढ़ चुका है और आने वाले 20–30 वर्षों में वह 1.5 डिग्री तक पहुँच जाएगा। और इसी बढ़ते तापमान को रोकने की कोशिश हो रही है। इसलिए बढ़ते तापमान से कृषि को किस तरह बचाया जा सकता है और किसानों की किस तरह मदद की जा सकती है, इस पर सोच विचार की जरूरत है।

संशोधन और उसकी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी

जलवायु परिवर्तन में तापमान का बढ़ना मुख्य है और बढ़ते तापमान को रोकना ग्लासगों में हो रहे (सीओपी–26) शिखर सम्मेलन में चर्चा का एक अहम मुद्दा है। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि तापमान बढ़ना रुका तो भी बढ़ी हुई गर्मी से होने वाले नुकसान को रोकना मुश्किल होगा। फिर भी दुनिया में संशोधन हो रहा है और ऐसी स्थिति से बचने के उपाय ढूँढे जा रहे है। भारतीय कृषि अनुसंधान करनी वाली संस्थाएँ भी इसमें संशोधन कर रही है। उनका बहुत सारा संशोधन कम समय में ज्यादा उत्पादन देने वाली तथा जलवायु परिवर्तन का सामना कर पाने वाली फसलों पर हो रहा है। जरूरी है कि जो भी संशोधन हो रहा है और जो भी उपाय निकले, उनको स्वीकारना आवश्यक होगा और उसमें सभी को वैज्ञानिक दृष्टि अपनानी होगी। इसमें सरकार और समाज दोनों को एक दूसरे के साथ चलना होगा, ताकि कम समय में ली जाने वाली और जलवायु परिवर्तन के बदलते समय

में मजबूती से खड़ी रहने वाली फसलों को स्वीकारा जा सके। इसलिए संशोधन पर बल देना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा नए संशोधनों को स्वीकारने की जरूरत होगी।

संकट समय की व्यवस्था जरूरी

हमारी आज की व्यवस्थाएँ संकट आने के बाद मुख्यतः काम में लग जाती है। उसे बदलना होगा। संकट के समय किसान की मदद हो ऐसी योजना और उसकी व्यवस्था स्थिर रूप में कार्यशाली हो यह देखना होगा। किसान की पहली जरूरत बदलते मौसम के निश्चित अनुमान की है। बारिश हो या फिर तूफान कब कहाँ, कितनी तेजी से आ रहा है, इसकी निश्चित जानकारी किसान को मिलना जरूरी है। अभी भी मौसम की जानकारी सटीक नहीं होती। किसान इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए यह जरूरी है कि मौसम का सटीक पूर्वानुमान हो। दूसरी बात विपत्ति व्यवस्था भी किसान के काम आनी चाहिए। अगर खेत में फसल निकाल रखी हो तो किसान को उसको सुरक्षित जगह हटाने या ढ़कने में विपत्ति व्यवस्था का उपयोग होना चाहिए। ऐसे कई प्रकार से कृषि और किसान को मदद करने की व्यवस्था होना जरूरी है, जिससे किसान का या फसल का कम से कम नुकसान हो। तूफान और बारिश जैसे संकट के प्रति किसान निश्चित रहेगा, ऐसी व्यवस्था संकट के प्रभाव को कम कर सकती है, यह समझने की जरूरत है।

नुकसान की भरपाई पूरी होनी जरूरी

किसान की फसल जब किसी आँधी–तूफान या बे–मौसम बारिश या कम–ज्यादा ठंड–गरम मौसम की वजह से जाती है तो उस पर मेहरबानी करने जैसी मदद की जाती है। वह भी देने की कोई निश्चित पॉलिसी नहीं होती या कोई फॉर्मूला भी नहीं होता। इसलिए यह मदद आधी–अधूरी होती है। किसान के पूरे नुकसान की क्षतिपूर्ति पूर्णरूप से होनी चाहिए, ऐसी नीति बनानी होगी। अब जबकि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन से फसल का नुकसान होना तय है, उसकी मदद करने का तरीका भी बदलना होगा। भारत की अब तक की सारी फसल बीमा योजनाएँ भी नाकाम रही है, यह बात भी समझनी पड़ेगी। इसलिए यह जरूरी है कि फसल बीमा योजना को पूर्ण विराम दिया जाए। अब समय आ गया है कि फसल बीमा की जगह कृषि आय बीमा योजना चलाई जाए। फसल और उससे आय का अनुमान लगाना अब मुश्किल नहीं रहा। हर क्षेत्र की कृषि भूमि की उत्पादकता और फसल उत्पादन को नजदीकी कृषि मंडी से जोड़ने से मिलने वाला उचित मूल्य तय किया जा सकता है और आय को अनुमानित किया जा सकता है। यह करने में क्षेत्रीय कृषि विश्वविद्यालय सक्षम है और उन्हें यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। किसान की आय और उसकी सुनिश्चिति इस प्रश्न का एक हल हो सकती है। ऐसी ही आय बीमा योजना पर अब विचार होना चाहिए। आय की सुनिश्चिति सरकार और बीमा कंपनी दोनों ने मिलकर करनी चाहिए। यह आवश्यक है कि बीमा कंपनी को इसमें ज्यादा अधिकार न हो। सारी बातें सरकार अपनी तरफ से तय करें। बीमे की रकम भी सरकार अदा करें। बीमा योजना सर्वसमावेशक हो, जिसमें सभी प्रकार से होने वाले नुकसान को शामिल किया जाए। उसी तरह सभी किसान और सभी फसलें भी बीमा योजना में शामिल हो। किसान को इसमें न खिचा जाए। आय तय करने से लेकर नुकसान का अनुमान और बीमे की रकम मिलने तक की जिम्मेवारी जिला या तालुका स्तर पर कृषि विश्वविद्यालयों को साथ लेकर एक समिति के जरिये होनी चाहिए, जिसमें सभी के प्रतिनिधि शामिल हो। बीमा प्रीमियम सरकार वहन करे या किसी और तरीके से वसूले, लेकिन किसान को इससे अलग रखे। इसके लिए एक स्थायी फंड का निर्माण भी किया जा सकता है। यह हो सकता है कि किसान से बीमा प्रीमियम मिलने वाले बीमे की रकम से वसूली जाए। बीमा कंपनी का किसान से कोई प्रत्यक्ष संबंध आने की जरूरत नहीं है। तभी यह बीमा योजना सफल हो सकती है। सरकार ने इसकी पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अपनी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों के जरिये यह योजना अमल में लानी चाहिए। किसान को अपने आय के बारे में आश्वस्त करना ही इस प्रश्न का सही हल है, यह समझने की आवश्यकता है। सरकार की यह एक प्रमुख जिम्मेवारी भी है।

आर्थिक विकास मॉडेल पर भी ध्यान दे

वैसे यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि आज का आर्थिक विकास मॉडल नैसर्गिक संसाधनों के शोषण पर आधारित है और उसकी वजह से अब पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। आज के जलवायु परिवर्तन का जो कारण बताया जा रहा है वह मानवी गतिविधियों से बढ़ने वाले कार्बन विसर्जन का है। उसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है और वातावरण में गरमाहट बढ़ रही है। लेकिन इस मॉडल को बदलने की आज भी सार्वजनिक इच्छा नहीं है। हमें यह बात ध्यान रखनी होगी कि नैसर्गिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग और पर्यावरण से दुश्मनी ज्यादा दिन नहीं चल सकती। भारत ने एक मॉडल दिया हुआ है जो नैसर्गिक संसाधनों का मर्यादा में उपयोग और पर्यावरण के साथ दोस्ती की जीवन पद्धति की बात करता है। आत्मनिर्भरता और संपूर्ण जीवन इसी मॉडल से उभरेगा। कम से कम भारत उस दिशा की ओर बढ़े तो आने वाले समय में उपयुक्त होगा। ❑❑

पृथ्वी शिखर सम्मेलन

रियो डी जेनेरियो, 1992: अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समझौते पर वार्ता के लिए बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी को अंतिम रूप दिया गया, जो मूल समझौता है, जो उन उद्देश्यों और सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिन पर देशों द्वारा जलवायु कार्यवाही आधारित होती है। इसमें स्वीकार किया गया कि विकासशील देशों के पास उत्सर्जन को कम करने के लिए कम दायित्व क्षमताएं थी। विकसित देश 2000 तक अपने 1990 के उत्सर्जन स्तर पर लौटने के उद्देश्य से उपाय करने के लिए एक गैर बाध्यकारी प्रतिबद्धता पर भी सहमत हुए।

काप 3, क्योटो, 1997: जापान के कोटेश्वर में हुए सम्मेलन ने क्योटो प्रोटोकोल दिया जो पेरिस समझौते का अग्रदूत बना। प्रोटोकॉल में 2012 तक हासिल किए जाने वाले विकसित देशों के एक समूह के लिए विशिष्ट उत्सर्जन की कमी के लक्ष्य निर्धारित किए थे। अन्य देशों को उत्सर्जन कम करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई करनी थी। क्योटो प्रोटोकोल पिछले साल समाप्त हो गया क्योंकि पेरिस समझौते ने इसकी जगह ले ली।

कॉप 13, बाली, 2007: इस सम्मेलन में कोटो प्रोटोकाल के प्रतिस्थापन को खोजने के प्रयासों में सीबीडीआर के सिद्धांतों की पुष्टि की गई, जिससे विकसित राष्ट्र तेजी से असहज हो रहे थे। खासकर चीन के दुनिया के प्रमुख उत्सर्जन के रूप में उभरने के बाद विकसित देश सभी के लिए या किसी के लिए भी उत्सर्जन में कमी के लक्षण नहीं चाहते थे। उनका तर्क यह था कि चीन और भारत की कड़ी कार्यवाही के बिना किसी भी जलवायु करवाई की सफलता संभव नहीं होगी।

कॉप 15, कोपेनहेगेन, 2009: एक नए समझौते को अंतिम रूप देने का प्रयास विफलता के साथ समाप्त हुआ। इस बैठक के दौरान देशों के दिल तो नहीं मिले, लेकिन आगे भी हाथ मिलाते रहने के वादे के साथ बैठक समाप्त हुई। 110 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष एकत्र हुए, लेकिन मतभेद इतने गहरे थे कि उन्हें पाटा नहीं जा सकता था। सभी देश कुछ साल बाद फिर से प्रयास करने के बाद पर सहमत हुए। विकसित देशों ने 2020 से विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन संबंधी जिम्मेदारियां निभाने में मदद के लिए हर साल 100 अरब डालर की वित्तीय मदद के लिए भी प्रतिबद्धता जताई थी।

कॉप 21, पेरिस, 2015: इस सम्मेलन ने आखिरकार क्योटो प्रोटोकॉल का उत्तराधिकारी समझौता दिया पेरिस समझौते ने किसी भी देश के लिए उत्सर्जन में कमी के लक्षण निर्धारित नहीं किए, जैसा कि विकसित देश चाहते थे। इसकी वजह से सभी को उत्सर्जन कम करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उन्हें सूचित और सत्यापित करने की बात भी कही गई। इसका उद्देश्य पूर्व औद्योगिक समय से तापमान में वैश्विक वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर ही सीमित करना है।

कॉप 26, ग्लासगो, 2021: यह सम्मेलन पिछले साल ही आयोजित होने वाला था लेकिन कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया। तेरी समझौते के क्रियान्वयन के लिए नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। मुख्य शेष बाधा भविष्य के कार्बन बाजारों के निर्माण पर एक समझौता करना है और कुछ विकासशील देशों के साथ लक्षित कार्बन क्रेडिट का उस नए बाजार में संक्रमण करना है। प्रस्तुतिः धीरेन्द्र जय हिंद ❑

परंपरागत प्रकृति प्रेम से ही बचेगी पृथ्वी

ग्लासगों में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 26 से जाते हुए यूएनओ के प्रमुख अंतानियो गूतारेस ने टवीट किया कि 'रोम से अधूरी उम्मीदों के साथ जा रहे हैं लेकिन आशाएं पूरी तरीके से दफन नहीं हुई है'। मतलब साफ है कि कहीं न कहीं सभी राष्ट्रों के बीच साझा समाधान निकालना मुश्किल हो रहा है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कोई जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर कोई सटीक राह अभी नहीं दिख रही है। ऐसे में प्रकृति प्रेमी, पर्यावरणविदों व दुनिया के जागरूक लोगों को गांधी बरबस याद आ रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति आवश्यकता तो हर मनुष्य की पूरी कर सकती है लेकिन लोभ एक व्यक्ति का भी पूरा नहीं कर सकती। व्यक्ति के लालच के सामने कुदरत भी बेबस है। बापू कोई पर्यावरणविद नहीं थे, लेकिन वे आजीवन पर्यावरण संरक्षण के हितैषी जीवन पद्धति के पैरोकार भी रहे और व्यवहारकर्त्ता भी।

ग्लासगो में संपन्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन यानी नेटजीरो के लक्ष्य को हासिल कर लेने का वादा किया है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमारे पास न तो प्रदूषण का सटीक आकलन है और न ही इतने संसाधन और उपकरण कि प्रभावी तरीके से हम प्रदूषण को नियंत्रित कर सके। इस बार दिल्ली के लोग यमुना नदी की जहरीली झाग में खड़े होकर छठ का व्रत करने को मजबूर हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में प्रदूषण का स्तर इतना ऊंचा है कि अधिकांश लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तथा सीने में जलन की शिकायत लेकर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं।

साल दर साल सर्दियों का आगमन देश के शहरों खासकर राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर को धुआं और धुंध के जहरीले काकटेल में बदल देता है। पराली का धुआं, धूल भरी धुंध की मोटी चादर और त्योहारों के दौरान होने वाली आतिशबाजी, इस इलाके को जहर का चेंबर बना देती है, जहां सांस लेना भी दूभर हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक उत्तर भारत की 48 करोड़ आबादी जिस हवा में सांस ले रही है वह दुनिया के किसी भी हिस्से से 10 गुना ज्यादा जहरीली है। दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के 5 शहर शामिल हैं। ऐसे में बापू के विचार एक बार फिर रुककर सोचने और प्रकृति की ओर लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। बापू का मानना था कि तकनीक का विकास भले ही मानव की सृजनशीलता के अनुरूप हो, लेकिन उसे प्रकृति संगत भी होना ही चाहिए।

दुनिया में जब भी ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है तो जीवाश्म ईंधन की भी बात शुरू होती है। यह तय बात है कि हम प्रकृति से जितना ही दूर होते जाएंगे हमारे जीवन में जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता भी उसी के अनुरूप बढ़ती जाएगी।

– अनिल तिवारी

प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मुख्यतः 4 ग्रीन हाउस गैस हैं– कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस एक्साइड, मीथेन और जल तथा वाष्प। नाइट्रस ऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेशियल कार्बन डाइऑक्साइड के ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से लगभग 300 गुना अधिक है, वही मिथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से लगभग 50 गुना अधिक है। कृत्रिम उर्वरक नाइट्रस ऑक्साइड का एकमात्र स्रोत है। औद्योगिक खेती और औद्योगिक पशुपालन के कारण कृत्रिम उर्वरकों की मांग बढ़ी है, इन्हीं के चलते ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है।

70–80 के दशक तक हमारे पूर्वज गेहूं का सेवन न के बराबर या बहुत ही कम मात्रा में करते थे यहां तक कि गेहूं के प्रति पारंपरिक समझ भी गेहूंअन सांप के समतुल्य थी। लोग मानते थे कि जिस प्रकार गेहूअन कोबरा सांप मनुष्य के लिए खतरनाक है, उसी तरह गेहूं

भी एक खतरनाक अनाज है। लेकिन आज की तारीख में मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव और गेहूं के अधिकाधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए दुनिया के प्रचार–प्रसार तंत्र ने गेहूं को हेल्दी होल व्हीट घोषित कर दिया है, और प्रचार तंत्र का जादू हम पर इस कदर चढ़ा हुआ है कि हम गेहूं को लेकर कोई सवाल करने की बजाय सुबह से लेकर और रात तक खाने के हर प्रकार में अधिकाधिक गेहूं का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम यह नहीं समझ पा रहे हैं इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य प्रसन्नता और यूनिटी पर ही केवल नहीं होता बल्कि हमारे जो अनेक स्थानीय पारंपरिक एवं प्राकृतिक मोटे अनाज जैसे सांवा, कोदो शम्मी, कांगनी, मडुवा, ज्वार, बाजरा, जौ आदि है उनका भी विलोप हो रहा है।

शुद्ध और सात्विक भोजन के बारे में अपनी समझ को विकसित करने की बजाए विज्ञापनों की आभा में आकर हमने अपने खान–पान में ही बदलाव कर लिया यहां तक कि हमने अपने कृ षकों को भी इस बात के लिए विवश कर दिया कि वह भी औद्योगिक खेती को अपनाएं और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को अपने लिए ही खुद खड़ा कर ले। गेहूं जैसे अनाज जो हमारे पारंपरिक भोजन का हिस्सा कभी नहीं थे। मोटे अनाज की तुलना में अत्यधिक पानी लेते हैं। इस कारण से भूजल लगातार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और पानी की समस्या केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के समक्ष एक चुनौती के रूप में खड़ी है।

आज की तारीख में दुनिया में मिथेन गैस का एक बड़ा स्रोत औद्योगिक पशुपालन हो गया है। धरती पर 6400 प्रकार के स्तनपाई जीव पाए जाते हैं। इस कोटि में मनुष्य भी एक स्तनपाई जीव है। स्तनपाई जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान करवाते हैं। दुर्भाग्यवश हम प्रकृति से दूर हो गए और अपने ही बनाए तथाकथित विकास के मापदंडों में इतना उलझते गए कि हमने ऐसे समाज की संरचना कर डाली जहां माताओं के लिए आज स्तनपान कराना बहुत ही कठिन काम हो गया है प्रसव से पूर्व ही एलोपैथ विधा के डॉक्टर माता–पिता दोनों को ऐसे मायावी शब्द जाल में लपेट लेते हैं कि माताएं खुद के जने बच्चे को दूध पिलाने से दूर हो जाती है। किसी बच्चे का स्तनपान करना केवल उसके जीवन जीने का आधार ही नहीं बल्कि अधिकार भी है। इससे भी दुखद पहलू यह है कि भौतिकवादी सोच की पराकाष्ठा के कारण हम खुद अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करवा रहे हैं और दूसरे स्तनपाई जीवो की लगातार तलाश करते हैं, जिनका दूध अपने बच्चों को दे सके।

हमारे पूर्वज प्रकृति से जुड़े थे और दूध को बहुत बारीकी से समझते थे। स्तनपान को समझते थे। एक शिशु के लिए स्तनपान कितना महत्वपूर्ण है वह भली भांति जानते थे। इसीलिए देसी गाय को वह हर तरह के विधि विधान से जोड़ करके रखे थे। गाय की महत्ता को समझते थे। देसी गाय के दूध को वह दूध नहीं, बल्कि अमृत मानते थे। दूध का सेवन भी अमृत की तरह ही पंचामृत, छाछ, घी आदि के रूप में अक्सर किया करते थे। देसी गायों को हाइब्रिड कर उसका शोषण नहीं करते थे। उन्होंने गायों को उद्योग का भाग कभी नहीं बनाया। हमारे पूर्वजों ने गाय के दूध से प्रत्येक दिन केक, आइसक्रीम, मिठाई, चाय, काफी आदि कभी नहीं बनाई। उन्हें मालूम था कि दूध हार्मोन से बनता है, न कि कारखाने में। इसलिए स्तनपान करवाने वाले जीव को केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखा जाता था ताकि उनका दूध स्वास्थ्यवर्धक हो और पीने वाले नवजात बच्चे में बल और बुद्धि का विकास कर सके। लेकिन हमने क्या किया पशुपालन को ही उद्योग बना डाला।

आज हम प्रकृति से इतने दूर हो गए हैं और प्रचार–प्रसार तंत्र के बहकावे में इस तरह उलझ गए हैं कि जो चीजें टीवी पर बताई जाती है उसे ब्रह्म ज्ञान मानते हुए हूबहू अपने जीवन में अपना लेते हैं। प्रकृति द्वारा बने दूध की समझ नहीं है। यही कारण है कि हम सुबह से शाम तक दूध और उस से बनी चीजों का सेवन करते रहते हैं, पर डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चलता है कि शरीर में कैल्शियम की भी कमी है प्रोटीन की भी कमी है। हमने अपने रोज–रोज के जीवन में अन्य स्तनपाई पशुओं के दूध की मांग इस कदर बढ़ा ली है कि केवल अपना ही नहीं बल्कि सबके स्वास्थ्य को लगातार खोते जा रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को खुलेआम निमंत्रण देने पर आमादा है।

दुनिया में जब भी ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है तो जीवाश्म ईंधन की भी बात शुरू होती है। यह तय बात है कि हम प्रकृति से जितना ही दूर होते जाएंगे हमारे जीवन में जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता भी उसी के अनुरूप बढ़ती जाएगी। प्रकृत से इस दूरी के मूल में हमारा भोजन प्रमुख है। हमारा भोजन जितना स्थानीय पारंपरिक और प्राकृतिक होगा, हम न केवल शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहेंगे बल्कि उतना ही हम आर्थिक पारिवारिक और वैश्विक रूप से भी स्वस्थ होंगे। जंगल के जानवर को भी अपना भोजन स्वतः ही पता होता है। कोई भी जानवर कभी भी किसी खराब गुणवत्ता वाले भोजन को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन हम विवेकवान मनुष्य होकर भी पश्चिमी दुनिया की चकाचौंध में अपनी भोजन प्रथा को ही भूल बैठे हैं। ❑❑

गतिशक्तिः प्रौद्योगिकी शक्ति परियोजनाओं को गति

हम अक्सर अपने आसपास देखते और सुनते हैं कि हमारे मोहल्ले में सड़क बनी और उसके थोड़े ही दिन बाद बिजली, जल, टेलीफोन या किसी अन्य विभाग का रोड कटिंग का काम शुरू हो गया और अच्छी भली नई सड़क का सत्यानाश हो गया। यह भी देखा जाता है कि किसी मुख्य मार्ग पर पुल निर्माण होना है, लेकिन उसमें बाधा यह आ जाती है कि उस सड़क के नीचे टेलीफोन, बिजली की लाइनें भी बिछी है और कई बार जल की पाइपें भी वहां है। ऐसे में उन सब विभागों के साथ तालमेल होना जरूरी है। उन सभी विभागों के अफसरों के साथ तालमेल में देरी उस पुल अथवा किसी भी अन्य निर्माण की प्रक्रिया में देरी कर देती है। इसमें में कई बार तो सालों लग जाते हैं। ऐसे में निर्माण विभाग ने पुल बनाने के लिए जो बजट रखा होता है, उससे कहीं ज्यादा उसकी लागत बढ़ जाती है। इस कारण जब तक नए बजट में उस परियोजना के लिए राशि नहीं जुटाई जाती, वह योजना आगे खिसकती जाती है। परियोजना में देरी से न केवल लागत में वृद्धि होती है, जनता को भी खासी मुसीबतों से निपटना पड़ता है। शहरों में आधी बनी सड़कों, पुलों, फ्लाईओवर के रूप में हम अक्सर इसे देखते हैं।

इन सब मुसीबतों की जड़ विभागों में तालमेल की कमी है। विचारवान लोग अक्सर यह सोचते थे कि क्या विभिन्न विभाग इस हेतु तालमेल नहीं बिठा सकते, लेकिन ऐसा होता नहीं था। लेकिन अब इस मुसीबत से निजात मिलता सम्भव दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार, 'गतिशक्ति योजना' के माध्यम से ऐसा होना संभव है। वास्तव में यह एक स्वपन ही माना जा रहा था कि क्या सभी विभाग आपस में तालमेल बिठाते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को कार्य रूप दें ताकि विभागों के बीच तालमेल के अभाव के कारण होने वाली देरी को टाला जा सके और साथ ही साथ लागत भी घटे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुस्तरीय संपर्क प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को मंजूरी दी है , जिसमें कार्यान्वयन, निगरानी और समर्थन तंत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर को 'लॉजिस्टिक' लागत को कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी।

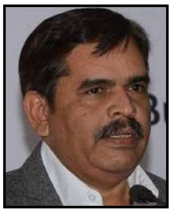

केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों के अतिरिक्त राज्य सरकारों की भी विभिन्न योजनाओं जैसे सागरमाला, भारत माला, अंतर्देशीय जलमार्गों, ड्राईलैंड बंदरगाहों, उड़ान इत्यादि सभी को जोड़ते हुए कार्गो और यात्री यातायात में तेजी लाने का काम गतिशक्ति योजना करेगी।

– डॉ. अश्वनी महाजन

वस्तुओं और व्यक्तियों की आवाजाही में कुशलता और तेजी

कार्गो यानी वस्तुओं की आवाजाही की अधिक लागत हमारे देश में कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धा शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। लेकिन वर्तमान अवस्था में उस लागत को कम करना संभव प्रतीत नहीं होता था लेकिन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए यदि कार्गो को गतिशील किया जा सके तो लागत तो घटेगी ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी लाभ हो सकता है। उसके लिए यातायात के विभिन्न माध्यमों की समन्वित योजना लाभकारी हो सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी की इस स्वप्निल योजना गतिशक्ति में 16 मंत्रालय को शामिल किया गया है जो इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए आपस में तालमेल बिठा सकेंगे। इस योजना का मतलब केवल यही नहीं है। वास्तव में जीवन को सुख में बनाने भारतीय उद्योगों कृषि और व्यवसाय को प्रतिस्पर्धीबनाने और लागतों को घटाकर संसाधनों का अधिकाधिक कुशलता पूर्वक उपयोग की योजना का नाम ही गतिशक्ति योजना है। इस योजना के तीन हिस्से है योजना के लिए संस्थागत खाका तैयार करना; कार्य निष्पादन संकेतकों की रचना और निगरानी कार्यक्रम और देशवासियों के लिए की सुविधा के उद्देश्य से हित धारकों के साथ विमर्श।

यह बात सही है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की कमी है। सरकार द्वारा अगले 5 सालों में 100 लाख करोड़ रू. की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ही है लोगों के जीवन को सुखमय बनाना है या यूं कहे की 'एज ऑफ लिविंग'। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं ऐसी बननी चाहिए जिससे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा शक्ति बड़े और वे विश्व के अन्य देशों के साथ भली भांति जूझसकें। यह भी जरूरी है कि जब कोई परियोजना बने तो लोग उसका अधिकाधिक लाभ उठा सके। उदाहरण के लिए यदि हम मेट्रो रेल बनाएं और उसकी पहुंच रिहायशी इलाकों तक न बन पाए तो उसका क्या लाभ?

प्रौद्योगिकी की शक्ति के साथ परियोजनाओं को गति

गति शक्ति योजना का एक पहलू तो विभागों के बीच आपसी तालमेल तो है ही लेकिन इसका असली मकसद नई प्रौद्योगिकी का उपयोग है। हम जानते हैं कि आज 'जीपीएस' यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से ग्लोबल स्पेशियल मेपिंग संभव है उसका भली–भांति विश्लेषण करते हुए विभिन्न विभाग तालमेल बिठा कर इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को गति दे सकते हैं। यानी नई प्रौद्योगिकी शक्ति के साथ प्रोजेक्ट्स को गति। शायद इसीलिए इस योजना को 'गतिशक्ति' का नाम दिया गया है।

गतिशक्ति एक पोर्टल बनाया गया है जो ऐसा उपकरण होगा जिसमें बहु शैली यानि 'मल्टी मोडल' यातायात प्रणाली को अंजाम दिया जा सकेगा। इससे संभव हो पाएगा कि भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ–साथ डिजिटल इंफ़रास्ट्रक्चर भी बने। सड़क रेल की पटरी और गैस पाइपों के साथ–साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बिछाई जाए। हमने देखा है कि ऑप्टिकल फाइबर के लिए रोड कटिंग तो जैसे अनिवार्य ही था। लेकिन गति शक्ति परियोजना से अब ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की लागत कहीं कम हो सकती है क्योंकि अब यह सड़क रेल और पाइपलाइन बनाते हुए साथ ही साथ बिछाई जा सकती है। कल्पना करें कि इससे ग्रामीण इलाकों सहित दूरदराज के क्षेत्रों तक डिजिटल क्रांति लाई जा सकती है।

रेलवे ने गतिशक्ति योजना के तहत 500 प्रकार के समन्वित यातायात केंद्रों की अगले 4–5 वर्षों में स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। जिसमें रेलवे को यातायात के अन्य साधनों के साथ जोड़ा गया है। इससे व्यक्तियों और वस्तुओं की आवाजाही की कुशलता में वृद्धि और लागत में कमी होगी। इसी प्रकार जल मार्ग से यातायात को भी बढ़ावा देने की योजना है और गंगा सहित अन्य जलमार्गों को बंदरगाहों से जोड़ने हेतु भी योजना बनाई जा रही है। आज देश में 13 देशीय कार्यरत जल मार्ग है। जहाजों पर सामान उतारने और चढ़ाने में भी कमी लाई गई है। 2014 में यह समय 41 घंटे का था जो अब घट कर 27 घंटे ही रह गया है।

योजना का क्रियान्वयन

गतिशक्ति योजना की मुख्य विशेषता जीआईएस यानी जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम प्लेटफार्म है। इस संबंध में भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जिओ इनफोरमैट्रिक्स को इसका ज़िम्मा दिया गया है। केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों के अतिरिक्त राज्य सरकारों की भी विभिन्न योजनाओं जैसे सागरमाला, भारत माला, अंतर्देशीय जलमार्गों, ड्राईलैंड बंदरगाहों, उड़ान इत्यादि सभी को जोड़ते हुए कार्गो और यात्री यातायात में तेजी लाने का काम यह गतिशक्ति योजना करेगी।

गतिशक्ति योजना के तहत कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 18 मंत्रालयों के सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल करके सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) का गठन भी किया जाएगा।विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के नेटवर्क योजना प्रभाग के प्रमुखों को शामिल कर एक बहुस्तरीय नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) का गठन किया जाएगा। एनपीजी को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक प्रभाग में स्थित एक तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) से मदद मिलेगी।टीएसयू में विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों, जैसे विमानन, सामुद्रिक, सार्वजनिक परिवहन, रेल, सड़क और राजमार्ग, बंदरगाह, बिजली, पाइपलाइन, जीआईएस, आईसीटी, वित्त/बाजार पीपीपी, लॉजिस्टिक, डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। 18 विभागों के सचिवों का यह अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करेगा। ❑❑

चीन में आर्थिक संकटः दुनिया के लिए भी खतरा

क्या चीन अपने ही बोझ से दबकर बिखर जाएगा। जनसंख्या में नंबर 1 की स्थिति हासिल करने वाला चीन आर्थिक ताकत के रूप में भी पहला स्थान हासिल करने की जल्दी में है। इस होड़ में चीन लगातार कर्ज की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता रहा है, बिना यह विचार किए कि एक दिन कर्ज का यह बोझ उसे ही डुबो सकता है। हाल के आकड़े बताते हैं कि चीन की कंपनियां और वहां के वित्तीय संस्थान अपनी देयता चुकाने में असफल हो रहे हैं। चीन की संपत्ति में गिरावट, ऊर्जा संकट, कमजोर उपभोक्ता मांग और कच्चे माल की बढ़ती लागत से प्रभावित चीन आर्थिक मंदी की चपेट में आता जा रहा है। अनुमान है कि तीसरी तिमाही में चीन की आर्थिक वृद्धि 5 फीसदी से भी नीचे आ सकती है।

हालांकि चीन के प्रधानमंत्री के कियांग ने हाल ही में एक बयान जारी कर कहा कि चीन के पास मौजूदा बिजली संकट और उच्च कमोडिटी की कीमतों सहित देश के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त तरीके हैं।

पिछले एक दशक में चीन का कर्ज नाटकीय रूप से बढ़ा है। ये कर्ज मुख्य रूप से चीन के सरकारी बैंकों द्वारा बड़े पैमाने निजी क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए हैं ताकि वे वैश्विक वित्तीय संकट के बाद भी अमेरिका और यूरोप के देशों की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में टिक सके। लेकिन अब ये कर्ज पहाड़ की तरह हो गए हैं जो चीन की स्थिरता और यहां तक कि दुनिया के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण बन रहे हैं।

चीन का कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का 250 प्रतिशत से अधिक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक है। यह दुनिया की सबसे अधिक कर्ज लेने वाले देश जापान से कुछ ही कम है। विशेषज्ञों का कहना है चीन का कर्ज उस वित्तीय संकट और वैश्विक आर्थिक मंदी का कारण बन सकता है। चीन के हुक्मरान चाहे जो कहें लगभग सभी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का मानना है कि चीन आर्थिक संकट में है और उसकी विकास दर 5 फीसदी से भी नीचे है। नैटिक्सिस ने तीसरी तिमाही में 4.9 प्रतिशत की गिरावट की भविष्यवाणी की है तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ब्लूमबर्ग के विश्लेषकों भी कहना है कि चीन में अर्थव्यवस्था का विस्तार औसत 5 प्रतिशत से नीचे ही होगा। एचएसबीसी ने कहा है कि चीन की शेष वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 4–5 प्रतिशत की सीमा तक धीमी हो सकती है। रॉयटर्स ने अपने सर्वेक्षण में तीसरी तिमाही की जीडीपी 5.2 प्रतिशत रहने की भविष्यवाणी की है। इसके पहले चीन ने दावा किया था कि 2021 में उसकी विकास दर 7.8 प्रतिशत रहेगी।

बढ़ते वित्तीय जोखिमों पर अंकुश लगाने के लिए बीजिंग ने संपत्ति बाजार पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं।

– **विक्रम उपाध्याय**

चीन में दो बड़े संकट एक साथ खड़े हुए। एक तो उसकी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे बहुत बड़ी आर्थिक समस्या में घुंस चुकी है। वह अपने बांडों के ब्याज भुगतान तक नहीं कर पा रही है। उसके ग्राहक भाग रहे हैं और उसके स्पलायर उसे माल देना बंद कर चुके हैं। एवरग्रांडे के संकट के कारण चीन के कई बैंकों पर भी भारी दबाव आ गया है और वहां भी पेमेंट की समस्या शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही चीन में अचानक बिजली का संकट खड़ा हो गया है। वहां शहर के शहर ब्लैक आउट के शिकार हैं। बढ़ते वित्तीय जोखिमों पर अंकुश लगाने के लिए, बीजिंग ने संपत्ति बाजार पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। सितंबर की दूसरी छमाही के दौरान बिजली की कमी के कारण कारखानों को भी उत्पादन रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। ❑❑

आयुर्वेदः विश्वास ही नहीं, विज्ञान भी

कोरोना की काली छाया से बाहर निकलने तथा अपने शरीर की इम्यून शक्ति को बढ़ाने के लिए लोगों ने आयुर्वेद की ओर रुख किया है। बाजारों में अश्वगंधा च्यवनप्रास, हल्दी, गिलोय, शहद की बिक्री में गुणात्मक वृद्धि हुई है। वही लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। कोविड–19 की दूसरी लहर के बाद से उपभोक्ता तेजी से हर्बल प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उत्पाद पसंद कर रहे हैं। यह लोकल के प्रति बढ़ती निष्ठा का द्योतक तो है ही आत्मनिर्भर भारत और आयुर्वेद को समर्थन करने वाला भी है।

प्राचीन चिकित्सा प्रणाली में बीमारियों का इलाज और एक स्वस्थ जीवन शैली का नेतृत्व करने के सर्वोत्तम तरीकों में आयुर्वेद को उच्च स्थान प्राप्त है। वर्तमान में आयुर्वेद ने अपनी ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि भारत सरकार ने वैश्विक महामारी कोविड–19 से लड़ने के प्रयासों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक संघटकों के उपयोग का आह्वान किया है। सरकार ने कोविड–19 के रोकथाम हेतु प्रतिरोधी तथा उपचार में चयनित और मानकीकृत आयुर्वेदिक दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए अभिनव नैदानिक दवा परीक्षणों की घोषणा की है। आयुष मंत्री द्वारा ऐसे उत्पादों को प्रोत्साहन देने के बाद डाबर, हिमालय, झंडू, जैसी कंपनियों को अत्यधिक मुनाफा हुआ है।

कोविड–19 के दौरान चयनित उत्पादों का प्रदर्शन
(समाप्त वर्ष 2021)

श्रेणी	योगदान प्रतिशतता	प्राकृतिक विकास	श्रेणी वृद्धि
शैम्पू (हेयर वास)	12 प्रतिशत	15 प्रतिशत	7 प्रतिशत
टूथ पेस्ट	41 प्रतिशत	16 प्रतिशत	10 प्रतिशत
स्कीन क्रीम	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	12 प्रतिशत
बेबी क्रीम	58 प्रतिशत	32 प्रतिशत	21 प्रतिशत
बेबी स्कीन क्रीम	58 प्रतिशत	46 प्रतिशत	44 प्रतिशत

अब आधुनिक विज्ञान को भी प्राचीन पारंपरिक चिकित्सा के साथ जोड़ना शुरु किया गया है। आयुर्वेद काफी हद तक विश्वास का विज्ञान रहा है।

– डॉ. जया कक्कड़

कोरोना काल में अस्पतालों में मची अफरा–तफरी के बीच अधिकांश भारतीय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घरेलू उपचार और समग्र दवाओं पर निर्भर होकर खुद को वायरस से बचाने में जुटे हुए हैं। कोरोना रोग के मामले में एलोपैथी की तुलना में आयुर्वेद पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। एक सर्वेक्षण में यह बात निकल कर के आई है कि आधे से अधिक कोरोना प्रभावित लोगों ने देसी इलाज के जरिए अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित और मजबूत की है। सर्वेक्षण में वर्ष 2023 तक आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग बढ़ने तथा आयुर्वेद को 15 बिलियन डालर का उद्योग बनने का आकलन किया गया है। आयुर्वेदिक कंपनियों ने अपने आरएंडी खर्च में भी वृद्धि की है और कंपनियां यह सुनिश्चित कर रही हैं कि नवाचार लक्षित बाजार में तेजी आए। दवाओं का क्लीनिकल परीक्षण किया जा रहा है और आयुर्वेदिक और हर्बल उत्पादों पर प्रोफिलैक्सिस अध्ययन किए जा रहे हैं। अध्ययन के नतीजे में बताया गया है कि बीमारी से ग्रस्त अधिकांश लोगों ने आयुर्वेद की दवाइयों का सेवन किया और बीमारी पर विजय प्राप्त की। इसमें कोई दो राय नहीं कि अधिकांश लोग अब रासायनिक आधारित

उत्पादों से दूर भागने लगे हैं। यही कारण है कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा बूस्टर उत्पादों जैसे कि च्यवनप्राश, शहद, हर्बल चाय आदि में 2020–21 के दौरान 38 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

हालांकि आयुर्वेद मौजूदा विज्ञान और स्वस्थ जीवन जीने की कला से दूर है। यह मालिश, ध्यान, योग और हर्बल उपचार के उपयोग के साथ आहार परिवर्तन जैसे जीवन शैली वाली पारंपरिक पुरानी प्रथाओं के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम और उपचार पर केंद्रित है। लेकिन यहां उपचार संपूर्ण है जो शरीर को और शरीर के साथ मन को भी ठीक करने का दावा करता है। एलोपैथ रोग के प्रबंधन पर केंद्रित होती है, जबकि आयुर्वेद रोग की रोकथाम और रोग को उत्पन्न करने वाले मूल कारण को निष्कासित करने पर केंद्रित होता है। आयुर्वेद में शरीर को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक गुणों को दोष कहा जाता है। माना जाता है कि मानव शरीर 3 प्राथमिक दोष वात, पित्त और कफ से बना है। जब यह दोष पूरी तरह से संतुलित हो जाते हैं तो शरीर पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लेता है।

अमेरिका में भी लगभग एक तिहाई आबादी किसी न किसी रूप में पूरक और वैकल्पिक उपचारों का उपयोग करती है। लेकिन पूरी पश्चिमी दुनिया और यहां तक कि भारत भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या वास्तव में जड़ी बूटियों के कारण अनुभव किए गए प्रभाव वास्तव में होते हैं या अनुवांशिक है अथवा प्रायोगिक प्रभाव तो नहीं? क्या मन इलाज की प्रत्याशा में ही शरीर को ठीक कर रहा है? प्राचीन संस्कृतियों में पारंपरिक चिकित्सा का ज्ञान जैसे कि आयुर्वेद पीढ़ियों से मौखिक परंपराओं या लिखित ग्रंथों के माध्यम से पारित किया गया था। आयुर्वेद विशिष्ट बीमारियों के लिए औषधि के रूप में प्राकृतिक जड़ी बूटियों

की सिफारिश करता है। यह दवाएं भारत में 5000 से अधिक वर्षों से प्रचलित है। इन दवाओं का वर्णन करने वाले प्राचीन ग्रंथ लगभग दो सौ ईसा पूर्व के हैं। आज की दुनिया में इन्हें अकेले या पश्चिमी दवाओं के संयोजन में निर्धारित किया जा रहा है।

वर्षों से वैज्ञानिक आयुर्वेद के पीछे के तंत्र को समझने के लिए उत्सुक रहे हैं कि जड़ी बूटियां शरीर के साथ कैसे परस्पर क्रिया करती हैं और एक विशेष प्रभाव प्रदर्शित करती है। क्या इस तरह के ज्ञान के पीछे विज्ञान की कोई वैधता है? क्या होगा अगर हम इन पारंपरिक दवाओं के काम करने के पीछे के रहस्यों को उजागर कर सकें? हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने प्राचीन ग्रंथों में सुझाए गए बेहतरीन गुणों वाले हल्दी, अश्वगंधा, लहसुन आदि जड़ी बूटियों का अध्ययन किया है। उदाहरण के लिए अश्वगंधा मुख्य रूप से तंत्रिका संबंधी विकारों में अनुप्रयोगों के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में सुझाव दिया गया है कि जड़ी–बूटी ऑक्सीडेटिव छाती को रोक सकती है। इसी तरह हल्दी का भी इसके विरोधी गुणों के लिए बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है। परिणाम इस विश्वास का समर्थन करते हैं। लहसुन को एक ऐसे यौगिकों के लिए जाना जाता है जो मजबूत एंटीऑक्सीडेंट एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल एंटी कैंसर और एंटीमाइक्रोबॉयल गुणों का प्रदर्शन करते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि लहसुन का आवश्यक तेल मूल्यवान प्राकृतिक एंटीवायरस का स्रोत है जो मानव शरीर में कोरोना वायरस के खतरों को रोकने में योगदान देता है।

किसी भी औषधि उत्पाद की पूरी जांच के लिए इसकी गुणवत्ता, संदूषण, संरचना विश्लेषण और कुछ और दोष तथा बीवो दोनों में इसकी जैविक गतिविधिकी आवश्यकता होती है। इसके पर्याप्त शोध के अभाव में निराशा हाथ लग सकती है। यह भी संभव है कि खराब गुणवत्ता, संदूषण और भराव के कारण हर्बल उत्पाद की गुणवत्ता और शक्ति कम हो। गुणवत्ता वाले उत्पादों के बिना हम वांछित दीर्घकालिक प्रभाव का अनुभव नहीं कर सकते।

आज तक हम जड़ी बूटियों में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिकों की जटिलताओं को समझने की कोशिश करते रहे हैं कि वे शरीर के बिना कैसे काम करते हैं और अब हम बदले में आनुवांशिक रूप से उन पर प्रतिक्रिया करने के लिए पूर्व निर्धारित हैं। आयुर्वेद में निश्चित रूप से इसका समर्थन करने

वाला कुछ विज्ञान है। यही कारण है कि अब आधुनिक विज्ञान को भी प्राचीन पारंपरिक चिकित्सा के साथ जोड़ना शुरु किया गया है। आयुर्वेद काफी हद तक विश्वास का विज्ञान रहा है। जब हम क्लीनिकल परीक्षण सत्यापन के साथ विश्वास प्रणाली को विस्तृत करते हैं तो फिर उसके प्राकृतिक आवयवो के निर्माण के लिए अच्छा उत्पाद अभ्यास का पालन करते हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आयुर्वेद को विज्ञान की दुनिया में भी एक मजबूत स्थान हासिल होता है। आयुर्वेद के विश्वास को सांख्यिकी और वैज्ञानिक रूप से मान्य निष्कर्षों द्वारा समर्थित किया ही जाना चाहिए।

वर्तमान में इंटरनेट के दौर में झूठी सूचनाओं की बाढ़ है। आयुर्वेद को लेकर भी तरह–तरह के अनर्गल प्रचार होते रहते हैं। सोशल मीडिया के जरिए अनाप–शनाप आयुर्वेदिक नुस्खों के कचरे का ढेर चारों तरफ फैला हुआ है। यह सब नीम हकीम खतरे जान से ज्यादा नहीं है। किसी भी मामले में आयुर्वेद को मुख्यधारा के विकल्प के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, कम से कम अभी तो नहीं ही। भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य और भलाई के लिए हमें प्राचीन और आधुनिक ज्ञान को सर्वोत्तम और सर्वांगीण प्रभाव के लिए संयोजित करने की जरूरत है।

वैसे भी एलोपैथी के साथ आयुर्वेद का टकराव रहा है। लेकिन महामारी के दौरान इसने एक बदसूरत मोड़ ले लिया जब आई एम एस और रामदेव के बीच वाक युद्ध छिड़ गया। भारत में एलोपैथिक चिकित्सक आयुर्वेद सहित वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों से जुड़ने से इनकार करते हैं और आयुर्वेदिक उपचार के समर्थक अक्सर अपनी खुद की स्वामित्व वाली दवाओं का वितरण करते हैं। भले ही उनका निर्माण प्रमुख आयुर्वेदिक औषधि सिद्धांतों को त्याग कर किया गया हो। फिर भी जब कोविड–19 से लड़ने की बात आती है तो अब अधिकांश लोग एलोपैथी की वजह आयुर्वेद पर भरोसा कर रहे हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अब एक झटके में आयुर्वेद को खारिज नहीं कर सकते हैं लेकिन आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान के रूप में वैधता हासिल करने से पहले अभी बहुत सारी वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता है। ❑❑

(पृष्ठ 7 से आगे ...)

धरती को बचाने के लिए गंभीर प्रयासों की जरूरत ...

हालांकि उत्सर्जन में कमी लाने की बात भारत के लिए नहीं है, फिर भी अब बहुत कुछ बदल गया है। चूंकि पहले गैर प्रदूषणकारी प्रौद्योगिकियां उपलब्ध नहीं थी लेकिन अब तो नई–नई विकसित तकनीक का युग है। ऐसे में भारत को शुद्ध शून्य लक्ष्य निर्धारित करने के विचार को खारिज करने से बचना चाहिए। जलवायु अनुकूल आर्थिक विकास नैतिक और व्यवहारिक रूप से भी वांछनीय है। इसके लिए संरचनात्मक परिवर्तन उपयुक्त नीतियों और सहायक संस्थानों की जरूरत है। कार्बन ऑफसेट और कार्बन सिंक जैसे केवल उप समूह एक गैर शून्य लक्ष्य को हिट करने के लिए उत्सर्जन को संतुलित नहीं कर सकते। हालांकि हम अपने आर्थिक विकास के लक्ष्यों से समझौता नहीं कर सकते, फिर भी कुछ नियामक कदम उठाकर हम शुद्ध शून्य लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान में बिगड़े जलवायु के लिए विकसित दुनिया दोषी है, लेकिन विकासशील देश प्रमुखता से इस बात को अंतरराष्ट्रीय मंचों से न उठाते हुए अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। तर्क दिया जाता है कि भारत को जलवायु न्याय और समानता पर जोर देना चाहिए।

एक अनुमान के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण चावल और गेहूं की पैदावार में गिरावट की वजह से 2050 तक सकल घरेलू उत्पाद का 1.8 से 3.4 प्रतिशत तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है। भारत आर्थिक कारणों से विकास की दौड़ में सुस्त पड़ सकता है वहीं स्वच्छ खाना पकाने के उपकरणों की कमी और ऊर्जा क्षेत्र के परिवर्तन की प्रक्रिया में पिछड़ रहा है।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अमीर देशों को ऋणात्मक तथा भारत को स्वयं शुद्ध शून्य के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। हर साल जुड़ने वाले 40 बिलियन टन से अधिक कार्बन को हटाने के लिए यह जरूरी है कि भारत उत्सर्जन में कमी की पेशकश इस शर्त पर करें कि उन्नत देश 2050 से पहले शुद्ध शून्य तिथियां अपनाएं और जलवायु जोखिम को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त के हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्ध हों। भारत के लिए एक शुद्ध शून्य लक्ष्य अतिरिक्त निवेश की सुविधा प्रदान करेगा आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा और नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य भी सुनिश्चित करेगा। ❑❑

पशुधन से देश का आर्थिक विकास

यह सर्वविदित है कि प्राचीन समय से ही भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित रही है तथा कृषि, देश में उपलब्ध पशुधन पर आधारित रहा है। हिन्दू सभ्यता में गौवंश के वध पर प्रतिबंध के लिए वैज्ञानिक, सामाजिक व आर्थिक कारण रहे हैं, परन्तु वर्तमान में जिस तेजी से गौवंश, अन्य दूधारू पशु तथा अन्य कृषि कार्यो के उपयुक्त पशुओं का वध हो रहा है वह निकट भविष्य में देश के आर्थिक विकास को अवरूद्ध कर देगा तथा भारतीय समाज के सामने कई सामाजिक समस्याएं भी उपस्थित कर देगा।

भारत के महान पूर्वजों ने बहुत ही असरदार तरीके से सदैव ही पशुवध को निषेध करार दिया है। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध तथा वर्तमान समय के महापुरूष गांधी जी ने अपने अहिंसात्मक सिद्धांतों को जन–सामान्य तक पहुंचाने की भरसक कोशिश की है, परन्तु भारतीय संस्कृति के पश्चिमी संस्कृति की तरफ बढ़ते कदमों ने भारतीय पूर्वजों के अहिंसावादी आदर्शों को नजरअंदाज करते हुए निरंतर ही मांसाहार तथा आधुनिक कत्लखानों का प्रसार व विकास किया है। भारतीय संस्कृति में पशु जिसमें विशेषकर गायों को पालने वाले को गोपाल कहकर भगवान के बराबर का सम्मान दिया जाता रहा है।

प्रत्येक पांच वर्ष में भारत में पशुओं की संख्या जानने के लिए केन्द्र सरकार के एनिमल हंसबैंड्री विभाग द्वारा गणना 1919 से शुरु की गई है। इस गणना में सभी घरेलू तथा पालने वाले पशुओं की गणना की जाती है। राज्यों व केन्द्र शासित राज्यों के प्रशासन के सहयोग से अभी तक 19 गणनाएं पूर्ण हो चुकी है तथा 20वीं गणना अक्टूबर 2018 में गांवों व शहरी क्षेत्रों में की गई थी। इस गणना में गाय, भैंस, मिथुन (ग्याल), याक, बकरी, भेड़, सुअर, घोड़े, खच्चर, गदहे, ऊंट, कुत्ते, खरगोश तथा हाथी इत्यादि के साथ–साथ पोल्ट्री पक्षियों जैसे मुर्गे, बत्तख इत्यादि को शामिल किया गया। 20वीं पशु गणना के आंकड़े एकत्र करने के लिए आधुनिक तकनीक व कम्प्यूटर, लैपटॉप, टेबलेट आदि का प्रयोग किया गया। 20वीं पशु गणना देश के 6.6 लाख गांवों तथा 89,000 शहरी वार्डों में कुल मिलाकर 27 करोड़ परिवारों में यह गणना की गई। इस गणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल पशुओं की संख्या 535.82 मिलियन थी जो कि 2012 की तुलना में 4.6 प्रतिशत अधिक थी। गाय, भैंस, मिथुन (ग्याल), याक की 2019 में संख्या 302.82 मिलियन थी जो गत गणना से एक प्रतिशत अधिक थी। गोवंश की संख्या 2019 में 192.52 मिलियन थी जो गत गणना से 0.8 प्रतिशत अधिक थी। गायों की संख्या 145.2 मिलियन थी जो 2012 की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक थी। देशी गायों की संख्या में 6 प्रतिशत कमी देखी गई। भैंसों की संख्या 109.85 मिलियन थी जो गत गणना से एक प्रतिशत अधिक थी। भेड़ों की संख्या 74.26 मि., बकरियों की संख्या 148.88 मिलियन सुअरों की संख्या 9.06 मिलियन, मिथुन (ग्याल) की संख्या 3.8 लाख, याक की संख्या 58 हजार, घोड़े व खच्चरों की कुल संख्या 3.4 लाख, गदहों की संख्या 1.2 लाख, ऊंटों की संख्या 2.5 लाख, तथा कुल पौल्ट्री 851.8 मिलियन थी।

सरकार भी विदेशी मुद्रा के लालच में पशुवध पर कारगर रोक नहीं लगा पा रही है, क्योंकि पशुओं के बाल, हड़डी, खाल (चमड़ा), खून तथा मांस के निर्यात से अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है।

– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में गायों की संख्या में सबसे ज्यादा गिरावट आयी, जबकि पश्चिम बंगाल में 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। देशी गायों की संख्या में 6 प्रतिशत की गिरावट आयी। दुधारु पशुओं और विशेषकर गायों की रक्षा हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त से ही कानूनों के द्वारा हर संभव उपाय किया गया। नये बनने वाले भारत के लिए जब संविधान निर्माण के लिए दिसम्बर 1946 में सभा की स्थापना की गई तो गांधी जी सहित अनेक प्रमुख नेताओं के पास देश के विभिन्न हिस्सों से पत्रों व

टेलीग्रामों के द्वारा यह मांग की गई कि गायों के काटने के कसाई गृहों को पूरे देश में अवैधानिक घोषित किया जाये तथा गायों की सुरक्षा के उपाय किये जाये। गायों का धार्मिक महत्व भी है। गायों की हत्या से साम्प्रदायिक दंगे भी भड़कते रहते है। संविधान सभा में प्रसिद्ध कांग्रेसी सेठ गोविन्द दास ने कहा था कि छुआछूत की तरह गायों के कत्ल को भी गंभीर अपराध का दर्जा दिया जाना चाहिए। गाय का कृषि व भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु नवम्बर 1948 में संविधान के ड्राफ्ट में गायों के कत्ल को अपराध बनाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। संविधान के अनुच्छेद 48 पर विचार करते समय गाय को महत्वपूर्ण मानते हुए उसकी हत्या को अपराध मानने पर विचार किया गया, परन्तु पं. जवाहर लाल नेहरु ने इसको राज्यों का विषय बताया। परन्तु 1966 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा हिन्दू महासभा आदि हिन्दू संगठनों के नेतृत्व में गायों के संरक्षण के लिए एक लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। इंदिरा गांधी ने इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी के अध्यक्ष देश के मुख्य न्यायाधीश थे। इस कमेटी ने 1973 में रिपोर्ट दी परन्तु इसकी रिपोर्ट पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई। विदेश व्यापार नीति में गाय के मांस के निर्यात पर प्रतिबध लगा दिया गया, परन्तु भैंसों के मांस के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

संविधान के अनुच्छेद 48 को आधार मानते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में गायों के कत्ल पर प्रतिबंध लगा दिया, परन्तु बंगाल में बूढ़ी व गर्भवती नहीं हो सकने वाली गायों के कत्ल के लिए सरकारी अधिकारी के उचित प्रमाण पत्र के आधार पर कत्ल करने का नियम बना दिया गया। केरल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मण्पिुर, मिजोरम में गाय के कत्ल पर कोई अधिनियम नहीं है। भारत की सनातन संस्कृति व धर्म में समाज में गाय को विशेष स्थान दिया गया है जिससे भारत के विभिन्न राज्यों में गाय के कत्ल करने पर लोगों को जेल जाना पड़ता है जबकि कुछ राज्यों में गाय का वध कानून सम्मत है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में अधिकांश बूचड़खाने पुराने है तथा उनमें प्रदुषण को नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं किये हुए है। उनके फर्श गंदे रहते है। पानी की पूर्ति पर्याप्त नहीं होती है। वेस्ट के निस्तारण का कोई उपाय नहीं है। भारत में 1176 बूचड़खाने है जिनमें से 75 ही आधुनिक है। बाकी अनगिनत गैर कानूनी बूचड़खाने है।

सरकार भी विदेशी मुद्रा के लालच में पशुवध पर कारगर रोक नहीं लगा पा रही है, क्योंकि पशुओं के बाल, हड्डी, खाल (चमड़ा), खून तथा मांस के निर्यात से अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। परन्तु सरकार यह भूल जाती है कि इन पशुओं से मिलने वाला दूध, भारतीय जनस्वास्थ्य में भारी परिवर्तन लाने में सक्षम है तथा भारत के बचपन को भी दूध की कमी की त्रासदी नहीं झेलनी पड़ेगी। गौवंश कभी भी अनार्थिक नहीं होता है। उसके पालन—पोषण पर जितना भी खर्च आता है उससे अधिक लाभ वह प्रदान कर देता है।

भारत के जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अनुसार भारत में 4,000 कत्लखानों को यंत्रीकृत करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के लालच में यह योजना अमल में लायी जा रही है जिससे प्रतिदिन लाखों पशु काटे जाएगें। भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद् के संगठन मंत्री के द्वारा एकत्र जानकारी के अनुसार प्रतिदिन 30,000 से अधिक गौवंश की हत्या हो रही है।

26 जनवरी 1950 से लागू देश के संविधान के 48वें अनुच्छेद में स्पष्ट निर्देश है कि गायें, उनके बछड़े तथा अन्य दूध देने वाले पशु और जो कृषि के उपयोग में आने वाले पशु हैं, उनकी हत्या न हो, यह देखने की जिम्मेदारी सरकार की होगी।

संविधान में उल्लिखत नियमों का पालन हो और उदारीकरण के नाम पर आयात किये जाने वाले सड़े और गंदे माल (मांस) का विरोध करना सरकार व प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्त्तव्य है। यदि सरकार आर्थिक लोभवश अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करती है तो देश की प्रबुद्ध जनता को आवाज उठानी चाहिए।

भारत की आजादी की प्रथम लड़ाई ही कारतूसों पर गाय की चर्बी लगाने के प्रकरण को लेकर ही शुरू हुई। स्वतंत्रता के बाद संविधान में गौवंश की रक्षा का संकल्प लिया गया, परन्तु वर्तमान से संविधान को सर्वोपरि मानने वाले से कुछ खादीधारी सत्ताधीश गौवंश के वध को रोकने के कोई उपाय नहीं कर रहे हैं जो कि पूर्णरूप से अनुचित है।

अभी तक गौवंश को हिन्दुओं की धार्मिक भावना के साथ ही जोड़कर देखा जाता रहा है तथा हिन्दुओं की गौवंश के वध की प्रतिबंध की मांग का मजाक उड़ाते हुए उसे साम्प्रदायिक मांग ही माना जाता रहा है जबकि हिन्दुओं की गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को भारतीय समाज के आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक विकास के दृष्टिकोण से देखना परमावश्यक है।

आज वक्त आ गया है, जब गौवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध तथा अन्य दुधारु व उपयोगी पशुओं पर प्रतिबंध लगाया जाये, तभी हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा मूल्य बच पायेंगे वरना तो हम आर्थिक समस्याओं के मकड़जाल में फंस कर रह जायेंगे। ❑❑

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर 251001 (उ.प्र.), के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष व ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद से व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा स्वतंत्र लेखक व टिप्पणीकार है।

बिजली संकट को टालिए मत, सामना कीजिए

बीते समय बरसात में कोयले की खदानों में पानी भरने से अपने देश में कोयले का उत्पादन कम हुआ था। बिजली का उत्पादन भी कम हुआ और कई शहरो में पॉवर कट लागू किए गए। फिलहाल बरसात के कम होने से यह संकट टल गया है। लेकिन यह केवल तात्कालिक राहत है। हमें इस समस्या के मूल कारणों का निवारण करना होगा अन्यथा इस प्रकार की समस्या बार–बार आती रहेगीं।

वर्तमान बिजली संकट के तीन कथित कारणों का पहले निवारण करना जरुरी है। पहला कारण बताया जा रहा है कि कोविड संकट के समाप्तप्राय हो जाने के कारण देश में बिजली की मांग बढ़ गई है जिसके कारण यह संकट पैदा हुआ है। यह स्वीकार नहीं है क्योंकि अप्रैल से सितंबर 2019 की तुलना में अप्रैल से सितंबर 2021 में कोयले का 11 प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ था। इसी अवधि में देश का जीडीपी लगभग उसी स्तर पर रही। यानी कोयले का उत्पादन बढ़ा और आर्थिक गतिविधि पूर्व के स्तर पर रही। इसलिए बिजली का संकट घटना चाहिए था, न कि बढ़ना चाहिए था, जैसा कि हुआ है।

दूसरा कारण बताया जा रहा है कि कोयले के खनन में बीते कई वर्षों में निवेश कम हुआ है। बिजली उत्पादकों का रुझान सोलर एवं वायु उर्जा की तरह अधिक हो गया है। यह बात सही हो सकती है, लेकिन इस कारण बिजली का संकट पैदा नहीं होना चाहिए था। कोयले के खदान में जितने निवेश की कमी हुई है यदि उतना ही निवेश सोलर और वायु ऊर्जा में किया गया तो कोयले से बनी ऊर्जा में जितनी कमी आयी होगी, उतनी ही वृद्धि सोलर और वायु ऊर्जा में होनी चाहिए थी। ऊर्जा क्षेत्र में कुल निवेश कम हुआ हो ऐसे संकेत नहीं मिलते हैं इसलिए कोयले में निवेश की कमी को संकट का कारण नहीं बताया जा सकता है।

हमें व्यवस्था करनी होगी कि बिजली के दामों में भी उसी प्रकार परिवर्तन किया जाए जिस प्रकार डीजल और पेट्रोल के दाम में परिवर्तन होता है। तब बिजली बोर्ड खरीद के मूल्य के अनुसार उपभोक्ता को महंगी अथवा सस्ती बिजली उपलब्ध करा सकेंगे और इस प्रकार का संकट पुनः उत्पन्न नहीं होगा।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

हाल में आए बिजली के संकट का मूल कारण ग्लोबल वार्मिंग दिखता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक तरफ बिजली का उत्पादन कम हुआ तो दूसरी तरफ बिजली की मांग बढ़ी है। पहले उत्पादन पर विचार करें। जैसा ऊपर बताया गया है, बीते समय में बाढ़ के कारण कोयले का खनन कम हुआ था। यह बाढ़ स्वयं ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ी है ऐसे संकेत मिल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से वर्षा कम समय में अधिक मात्रा में होने के अनुमान

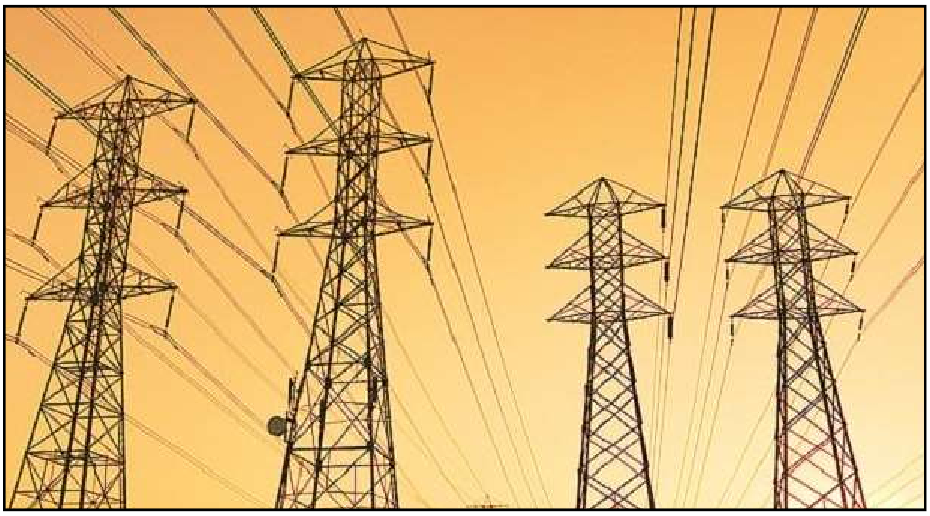

है जो कि बाढ़ का कारण बनता है। इसलिए बाढ़ को दोष देने के स्थान पर हमको ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान देना होगा। ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा प्रभाव यह रहा है कि अमेरिका के लुजियाना और टेक्सास राज्यों में कई तूफान आए। इन्हीं राज्यों में तेल का भारी मात्रा में उत्पादन होता है जिससे विश्व अर्थव्यवस्था में तेल की उपलब्धि कमी हुई और कोयले का उपयोग बढ़ा। विश्व बजार में कोयले कि मांग बढ़ी, दाम बढे और हमारे लिए आयातित कोयला महंगा हो गया जिसके कारण अपने देश में भी संकट पैदा हुआ। ग्लोबल वार्मिंग का तीसरा प्रभाव चीन में रहा है। चीन के कई क्षेत्रों में सूखा पड़ा है जिसके कारण जल विद्युत का उत्पादन कम हुआ है और कई क्षेत्रों में हवा का वेग कम रहा है जिसके कारण वायु ऊर्जा का उत्पादन कम हुआ है। इन तीनों रास्तों से ग्लोबल वार्मिंग ने कोयले और बिजली की उपलब्धि को कम किया है। दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही ऊर्जा की मांग बढ़ी है। बीते वर्ष यूरोप एवं अन्य ठंडे देशों में सर्दी का समय लंबा खींचा है जिसके कारण वहां घरों को गर्म रखने के लिए तेल की खपत बढ़ी है। इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक तरफ बाढ़, तूफान और सूखे के कारण ऊर्जा का उत्पादन गिरा है तो दूसरी तरफ मकानों को गर्म रखने के लिए तेल की खपत बढ़ी है। इस असंतुलन के कारण विश्व में तेल और कोयले का दाम बढ़ा है और जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा है।

हम अपनी खपत का 85 प्रतिशत तेल और 10 प्रतिशत कोयला आयात करते हैं। यूं तो 10 प्रतिशत कम दिखता है, लेकिन आयातित कोयले का महंगा हो जाने के कारण आयातित कोयले पर चलने वाले घरेलू बिजली संयंत्रों से बिजली का उत्पादन महंगा पड़ने लगा जिसे बिजली बोर्डो ने खरीदने से मना कर दिया। कई बिजली संयंत्र बंद हो गए। इनके बंद होने से जो बिजली उत्पादन में कटौती हुई उसकी पूर्ति अन्य माध्यम से नहीं हो सकी क्योंकि साथ–साथ कोयले का घरेलू उत्पादन में कटौती हुई। इसलिए अपने देश में यह समस्या पैदा हो गई।

आने वाले समय में ऐसी समस्या पुनः उत्पन्न न हो इसके लिए हमें दो कदम उठाने होंगे। पहली बात यह कि देश में उर्जा का खपत कम करना होगा। हमारे पास कोयले के भंडार केवल 150 वर्षों के लिए उपलब्ध हैं और तेल के लिए हम आयातों पर निर्भर हैं, इसलिए हमें देश में ऊर्जा के मूल्य को बढ़ाना चाहिए और उस रकम को ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए लगाना चाहिए। जैसे यदि सरकार बिजली का दाम बढ़ा दे और कुशल बिजली की मोटरों को लगाने के लिए सब्सिडी दे तो देश में ऊर्जा की खपत कम होगी लेकिन उद्यमी को नुक्सान नहीं होगा और हमारा जीडीपी प्रभावित नहीं होगा। दूसरा, सरकार को बिजली के मूल्यों में उसी प्रकार मासिक परिवर्तन करना होगा जिस प्रकार तेल के मूल्यों में दैनिक परिवर्तन किया जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था में बिजली बोर्डों को उत्पादकों से ईधन के मूल्य के अनुसार खरीदनी पड़ती है। जब अंतरराष्ट्रीय कोयले अथवा तेल के दाम बढ़ जाते है तो इन्हें महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। लेकिन उपभोक्ताओं को इन्हें उसी पूर्व के मूल्य पर बिजली बेचनी पड़ती है क्योंकि उपभोक्ताओं को किस मूल्य पर बिजली बेचीं जाएगी यह लंबे समय के लिए विद्युत नियामक आयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है इसलिए बिजली बोर्डों के सामने संकट पैदा हो गया है। एक तरफ उन्हें महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है लेकिन उपभोक्ता से वे पूर्व के अनुसार बिजली के कम दाम ही वसूल कर सकते हैं। इसलिए हमें व्यवस्था करनी होगी कि बिजली के दामों में भी उसी प्रकार परिवर्तन किया जाए जिस प्रकार डीजल और पेट्रोल के दाम में परिवर्तन होता है। तब बिजली बोर्ड खरीद के मूल्य के अनुसार उपभोक्ता को महंगी अथवा सस्ती बिजली उपलब्ध करा सकेंगे और इस प्रकार का संकट पुनः उत्पन्न नहीं होगा। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दौलत उगाते किसान को भी समृद्ध कीजिए

हमें बखूबी पता है कि कोविड महामारी के मायूसी भरे दिनों में कृषि संकटमोचक बनी। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान परिवारों को भोजन की लगातार आपूर्ति भी होती रही और जो लोग खरीदने लायक नहीं थे, उनको मुफ्त राशन भी मिला और इस खेती ने ही अर्थव्यवस्था के पहिए चलाए रखा। ऐसे वक्त पर, जब वित्तीय वर्ष 2020 की पहली तिमाही में आर्थिकी 23.9 प्रतिशत नीचे फिसली थी, जबकि 3.4 फीसदी का सकल मूल्य संवर्धन अर्जित कर कृषि ही एकमात्र चमकता बिंदु रही।

पूरे वर्ष के दौरान खेती ने ठोस आधार प्रदान किए रखा। कोविड–19 से पैदा हुए व्यवधानों के बावजूद, जब आर्थिकी के तमाम अन्य क्षेत्र संघर्ष में फंसे थे और आशान्वित करती संभावना की शिद्दत से जरूरत थी, ऐसे में कृषि ने 3.08 करोड़ टन खाद्यान्न पैदा कर रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज करवाया। 2020–21 की यह बंपर उपज पिछले फसल चक्र की बनिस्बत 1.15 करोड़ टन ज्यादा थी। यही नहीं, देश में 32.9 करोड़ टन फल, सब्जियां, सुगंधित फूल, मसालों के अलावा 20.4 करोड़ टन दूध और 3.61 करोड़ टन तिलहन का उत्पादन भी हुआ।

सरल शब्दों मे कहें तो किसान ने देश के लिए दौलत उगाई। यह न सिर्फ महामारी के दौरान हुआ बल्कि साल–दर–साल हो रहा है। यह बात काबिलेतारीफ है कि कृषकों की कड़ी मेहनत से हमारी मेजों तक भोजन पहुंच पाता है। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। 1960 के दशक तक भी आलम यह था कि भारतवासियों को दो जून की रोटी के लाले पड़े रहते थे। लेकिन बलिहारी जाएं किसानों पर, जिन्होंने देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बना डाला और इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता। कृषि ने बड़ी कुलांचे भरी और खाद्यान्न उत्पादकता में वर्ष 1950–51 के मुकाबले 2020–21 तक 6 गुणा लंबी छलांग लगाई है।

एक जीवंत खेती वह होती है जो बढ़ती आर्थिक तरक्की के साथ बढ़े। लेकिन यह यकीन करना कि केवल आर्थिक प्रगति के सहारे भूख और कुपोषण की समस्या को हल किया जा सकता है तो यह एक वहम है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने

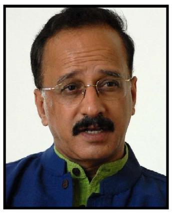

विश्वभर में खेती से आजीविका चलाने वालों को जिलाए रखने, दौलत पैदा करने में उनकी भूमिका को सम्मान देने के लिए, ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जो किसानों को जिसका आश्वासित और मुनाफादायक मूल्य की गारंटी सुनिश्चित करे।

– देविन्दर शर्मा

खुद माना है कि बेशक आर्थिक विकास जरूरी है लेकिन यह अपने आप में भूख और कुपोषण घटाने में गति नहीं ला सकता। 'द लांसेट' विज्ञान पत्रिका में छपे एक अध्ययन के मुताबिक विकासशील देशों में आर्थिक विकास दर में 10 फीसदी का इजाफा होने पर भी कुपोषण में ज्यादा से ज्यादा 6 फीसदी की कमी हो पाई है। वहीं दूसरी ओर वे देश जिनके नागरिकों को अच्छी खुराक मुहैया है, वहां कुशल और उत्पादक श्रमशक्ति बनती है जो कि उच्च आर्थिक विकास पाने को जरूरी है।

वर्ष 1950–51 से लेकर यदि जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से देखें तो भारत की आबादी लगभग 4 गुणा बढ़ी है, जो 35.9 करोड़ से 140 करोड़ तक पहुंच गई है। लेकिन भारतीय कृषि ने न केवल जनसंख्या वृद्धि के मुकाबले अपनी रफ्तार कायम रखी बल्कि 'माल्थुसियन कैटास्ट्रोफ' नामक सिद्धांत (उपज से कहीं ज्यादा खाने वाले मुंह) को इस कदर गलत सिद्ध कर दिया कि कल्पनातीत अतिरिक्त अनाज पैदा कर दिखाया। यह इजाफा सिर्फ देश का पेट भरने लायक अन्न पैदा करने तक सीमित नहीं था, इसके अलावा फल, सब्जियां और दूध में प्रति व्यक्ति हुई बढ़ोतरी ने कुपोषण और अपरोक्ष भुखमरी को कम करने में काफी मदद की है। हालांकि भुखमरी आज भी देश के कुछ भागों में व्याप्त है, लेकिन इसके पीछे का कारण खाद्यान्न उत्पादन में कमी न होकर वंचितों तक पंहुच और वितरण की जुड़वां खामियां है।

यदि प्रगति और सपन्नता एडम स्मिथ के मौलिक अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु था, जो कि राष्ट्रों की अमीरी के पीछे के कारणों और प्रकृति को लेकर था तो यह मानना पड़ेगा कि भारतीय कृषि में हुआ उल्लेखनीय परिवर्तन वह है जिसने न केवल देश की दौलत में योगदान दिया बल्कि इसमें इजाफा किया है। आज आवश्यक भोजन जैसे कि गेहूं, चावल, फल, दूध और दालों के उत्पादन में भारत दुनियाभर में दूसरे पायदान पर है, यह तमाम रिकॉर्ड उपलब्धियां भारतीय किसानों द्वारा भरी गई बड़ी कुलांचे दर्शाता है, तथापि यह प्राप्ति उनके लिए ऊंची आमदनी में तबदील न हो पाई। इस मामले में वृद्धि खेती की समृद्धि नहीं बन पाई।

जिस अदृश्य हाथ का उल्लेख एडम स्मिथ ने किया है, वह दरअसल किसान को गुजारे लायक आमदनी देने तक में असफल रहा है। यह त्रासदी केवल भारत की नहीं बल्कि दुनियाभर की है। किसानी से होने वाली आमदनी साल–दर–साल कैसे सिकुड़ती गई, कैसे मुक्त मंडियों ने कृषकों की कमाई हड़प ली है, यह जानने के लिए किसी परिष्कृत अर्थशास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसकी बजाय, जैसा कि इस साल अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता ने अपने लेख में स्वयं कबूल किया है 'कारण और प्रभाव का निष्कर्ष नैसर्गिक प्रयोगों से निकाला जा सकता है।' इस कथन से सहमत होते हुए मुझे लगता है कि जब आसानी से उपलब्ध साक्षात सबूतों के जरिए निष्कर्ष निकाला जा सकता है तो इसके लिए अर्थशास्त्रियों को जटिल अर्थ–समीकरण वाले अध्ययन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्ष 2008 के आकलन के मुताबिक (रिपोर्ट मार्च, 2021 में जारी की गई है) भारत के खाद्यान्न उपज का मूल्य लगभग 28,98,02,032 मिलियन डॉलर था, वहीं सकल कृषि उत्पादों की कीमत 40,07,22,025 मिलियन डॉलर रही है। इस मामले में चीन (418541343 मिलियन डॉलर) के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। अब इससे पहले कि आप इन आंकड़ों की भूलभुलैया में खो जाएं, यहां पर गौर करना बहुत महत्वपूर्ण है कि किसानों ने इतना हैरतअंगेज सरमाया पैदा किया है और कृषि क्षेत्र कुल मिलाकर कितनी कीमत का उत्पादन करता है। दूसरे शब्दों में किसान दौलत उगाने वाला है।

इसलिए आर्थिक नीतिकारों को अपनी सोच में तबदीली लाने की जरूरत है, वह जिन्हें रिवायती तौर पर यही यकीन रहा है कि केवल व्यापार–धंधे (बड़े हों या छोटे) सिर्फ दौलत बनाते हैं। जिस किस्म की आर्थिक असमानता आज व्याप्त है, वह इसी पुरानी पड़ चुकी आर्थिक सोच का नतीजा है। वरना, मुझे कोई कारण समझ नहीं आता कि ऐसे समय पर, जब वर्ष 1999 के बाद से सकल कृषि उत्पादों की वार्षिक वृद्धि दर 8.25 प्रतिशत रही है, तो फिर आमदनी में किसान सबसे निचले पायदान पर कैसे हो सकता है। अमेरिका में भी वर्ष 2018 में कृषि उत्पादों से होने वाली आय में किसान के हिस्से आने वाला अंश घटकर महज 8 फीसदी रह गया है। भारत में, सिचुएशन एसेस्मेंट सर्वे की नवीनतम रिपोर्ट में खेती से कृषक परिवार की रोजाना आय सिर्फ 27 रुपये आंकी गई है।

यह दिखाने को काफी सबूत हैं कि मुक्त मंडी व्यवस्था ने दुनियाभर में कृषि–आय को किस कदर उजाड़ा है। इसको बदलना होगा। यह तभी संभव है जब हम किसान को मूलतः सिर्फ एक 'उगाने वाले' की तरह न लेकर 'दौलत पैदा करने वाला' मानें, ताकि समृद्धि लाने में उनके योगदान को माकूल कीमत मिल पाए। विश्वभर में खेती से आजीविका चलाने वालों को जिलाए रखने, दौलत पैदा करने में उनकी भूमिका को सम्मान देने के लिए, ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जो किसानों को जिसका आश्वासित और मुनाफादायक मूल्य की गारंटी सुनिश्चित करे। ❑❑

लेखक कृषि एवं खाद्य विषयों के विशेषज्ञ हैं।

https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/enrich-the-farmer-growing-wealth-71555/

घर–घर नल, हर नल में जल

भारत सरकार ने देश में व्याप्त पेयजल समस्या को दृष्टि में रखकर जल संसाधन, नदी विकास, गंगा जीर्णोद्धार और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को शामिल कर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और उसको देश में व्याप्त जल समस्या को समाप्त करने तथा हर घर को नल से पानी उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने हेतु निर्देशित किया। प्रधानमंत्री ने स्वयं नीति आयोग की बैठक में हर घर को पेयजल उपलब्ध कराने के संदर्भ में रीति नीति को व्यक्त कर उस पर अविलंब तथा द्रुतगामी कार्यवाही कर 2024 तक उपलब्ध कराने हेतु समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित यह योजना उनकी अन्य प्रभावी सौभाग्य योजना, उज्जवला योजना तथा स्वच्छता अभियान जैसी महत्वपूर्ण अत्यंत क्रांतिकारी योजना है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत मोदी सरकार ने देश के कौने–कौने में बिजली पहुंचाकर लगभग हर घर तक बिजली पहुंचाने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार उज्जवला योजना के अंतर्गत समाज के निम्नतम तबके तक गैस चूल्हा पहुंचाकर उज्जवला योजना को सार्थक किया है। स्वच्छता अभियान के द्वारा जहां एक और समाज में साफ सफाई एवं स्वच्छता हेतु जागरूकता अभियान चलाते हुए अपने चारों ओर सफाई बनाए रखने हेतु आमजन को जागरूक किया गया, वहीं दूसरी ओर घर–घर शौचालयों की व्यवस्था कर खुले में शौच जाने की परंपरा को लगभग समाप्त कर दिया है। अब उनकी हर घर को नल से पानी की योजना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तथा क्रांतिकारी है। सरकार की प्रतिबद्धता उम्मीद जगी है, किंतु इस योजना के समक्ष राष्ट्र में जल का अभाव, निरंतर गिरता हुआ जल स्तर तथा जल संरक्षण का समुचित प्रबंधन न होना योजना को निश्चित समयावधि के अंतर्गत पूर्ण कर पाने के संदर्भ में प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।

यह अलग तथ्य है कि अभी तक सिर्फ 65 प्रतिशत घरों में ही नल से पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। वर्ष 2014 से 2018 के मध्य 6.7 प्रतिशत की वृद्धि से घरों में पानी के कनेक्शन के लिए नल लगाए गए। 2011 से 2014 के मध्य में यह आंकड़ा 4 प्रतिशत था और 2001 से 2011 में यह मात्र 0.6 प्रतिशत ही था। पानी के कनेक्शन लगाने और नल से पानी पहुंचाने की दिशा में गांव में वृद्धि का आंकड़ा शहरों से अधिक है। 2014 से 2018 के मध्य गांव में यह 28 प्रतिशत और शहरों में 22 प्रतिशत के करीब रहा। ग्रामीण इलाकों में अभी भी लगभग 60 प्रतिशत घर ऐसे हैं जहां पानी का नल कनेक्शन नहीं पहुंचा है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार जैसे अनेक राज्य अब भी हैं जिनकी आधी जनसंख्या को अभी भी पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां 70 प्रतिशत से अधिक घरों में पानी के लिए नल लगाए जा चुके हैं। इन राज्यों के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में नल का प्रयोग पानी के लिए किया जा रहा है।

7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 प्रतिशत घरों में नल जल योजना के माध्यम से जल की आपूर्ति की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना को गति देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 10870.5 करोड रुपए आवंटित किए हैं जो किसी भी राज्य को अब तक की सबसे अधिक धनराशि है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल को 6998.97 करोड, गुजरात को 3410 करोड़, और मध्य प्रदेश को 5117 करोड़, महाराष्ट्र को 7064.41 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ को 1908.9 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को कुल 9262 करोड आवंटित किए गए हैं। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराना है। 2021–22 के केंद्रीय बजट से इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 50000 करोड़ों रुपए

निर्धारित किए गए हैं।

नल से घर–घर जल पहुंचाने की योजना के अंतर्गत जहां एक ओर देश के तेलंगाना तथा गोवा राज्य सहित कुछ केंद्र शासित प्रदेशों ने शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर अभूतपूर्व कार्य किया है, वहीं छत्तीसगढ़ उत्तराखंड जैसे राज्य अत्यंत धीमी गति से कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे चल रहे हैं। अब तक देश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 43 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचा दिया गया है। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 प्रतिशत घरों में इस योजना के माध्यम से जल की आपूर्ति की जा रही है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार दीप समूह, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के अलावा हरियाणा के 100 प्रतिशत घरों में नल से जल की आपूर्ति की जा रही हैं। योजना को मूर्तरूप देने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा समय सीमा का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बिहार, पंजाब जैसे राज्यों में वर्ष 2021 के अंत तक हर घर को नल के माध्यम से जल प्राप्त होने लगेगा, जबकि गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, सिक्किम आदि राज्यों तथा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना 2022 तक मूर्तरूप ले सकेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 2024 तक हर घर में नल से जल प्राप्त हो सकेगा। हालांकि आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 25 प्रतिशत से कम घर घरों में नल से जल की आपूर्ति की जा रही है इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में असम 22 प्रतिशत, राजस्थान 20.89 प्रतिशत, लद्दाख 16.32 प्रतिशत, झारखंड 15.12 प्रतिशत, बंगाल 13.48 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ 13.17 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश 12.72 प्रतिशत शामिल है।

उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना आर्सेनिक, फ्लोराइड, खारे पानी व जापानी इंसेफेलाइटिस प्रभावित सभी जिलों में लागू होने वाली है। पहले चरण में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में इस योजना को लागू कर दिया गया है जो दिसंबर 2021 तक अपना शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लेगी। आंकड़ों के अनुसार 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 100 प्रतिशत स्कूलों में जबकि 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 75 प्रतिशत स्कूलों तक यह सुविधा पहुंचा दी गई है झारखंड एकमात्र राज्य है जहां के सिर्फ 17.97 प्रतिशत स्कूलों में ही नल से जल की आपूर्ति अभी तक सुनिश्चित हो पाई है। प्रथम चरण में बुंदेलखंड के 7 जिलों झांसी महोबा ललितपुर जालौन हमीरपुर बांदा और चित्रकूट के कुल 4513 राजस्व ग्रामों में से 891 ग्रामों में जल घर–घर नल योजना के अंतर्गत पहुंचाया जा रहा है। शेष 3622 ग्रामों को घर–घर नल से जल पहुंचाने का कार्य 479 योजनाओं के माध्यम से पूर्ण किया जा रहा है। इससे लगभग 67 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। दूसरे चरण में विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र तथा वाराणसी में प्रधानमंत्री जी द्वारा योजना कीआधारशिला रखने के साथ ही कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। तीसरे चरण में जापानी बुखार और इंसेफलाइटिस से प्रभावित क्षेत्रों को योजना से जोड़ा जाएगा। चौथे चरण में आर्सैनिक व फ्लोराइड से प्रभावित गंगा यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में काम शुरू होगा। इस मिशन के अंतर्गत मेंटेनेंस का कार्य अगले 10 वर्षों तक कार्यवाही संस्था ही करेगी।

जल शक्ति मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 19,22,49,980 घरों में से 8,31,03,880 घरों में नल से जल पहुंचा दिया गया है जो निर्धारित लक्ष्य का मात्र 43.23 प्रतिशत होता है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना है जिसे पूर्ण करने हेतु अथक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

आज देश के बड़े भूभाग में निरंतर जल संकट उत्पन्न होने, भूगर्भ जलस्तर के नीचे जाने तथा जल स्रोतों के निरंतर नष्ट होते जाने के कारण जल की उपलब्धता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। इन्हीं सब तथ्यों को दृष्टि में रखकर वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा था– भारत में पानी की सुरक्षा और सभी भारतीयों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम जल शक्ति मंत्रालय का गठन है। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल नल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और जल शक्ति मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम देगा तथा निर्धारित समय से पूर्व देश के कोने–कोने में रह रहे जन–जन को उसके घर में नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त हो सकेगी।

समग्रतः कहा जा सकता है कि देश के समक्ष खड़े जल संकट को दूर करने में प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी योजना के कारगर साबित होने के संकेत मिल रहे हैं। ❑❑

आजादी का अमृत महोत्सव

जैविक खेती से होगी पर्यावरण की रक्षा

दुनिया के लिए बढ़ती आबादी एक गंभीर समस्या है। विशालतम जनसंख्या का पेट भरने के लिए अधिक अन्न उपजाने की होड़ में रासायनिक खादों और जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग से प्रकृति के जैविक और अजैविक पदार्थों का संतुलन, जिसे हम विज्ञान की भाषा में इकोलॉजी सिस्टम कहते हैं, गड़बड़ा रहा है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, साथ ही साथ मनुष्य के सेहत का भी चरण हो रहा है, नित नई–नई बीमारियां प्रकट हो रही है।

भारत में कृषि की संस्कृति लाखों वर्ष पुरानी है। प्राचीन काल में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल तथा प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी, जिससे जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान–प्रदान का चक्र निरंतर चलता रहता था। जिसके चलते जल, भूमि, वनों तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता था। कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता था, जिसके प्रमाण हमारे ग्रंथों में भी मिलते हैं। कृष्ण और बलराम, जिन्हें हम गोपाल एवं हलदर के नाम से भी संबोधित करते हैं, अर्थात कृषि के साथ गोपालन संयुक्त रूप से अत्यधिक लाभदाई था। परंतु बदलते समय के साथ गोपालन कम हुआ, वहीं कृषि में तरह–तरह के रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ने लगा।

विश्व की जनसंख्या, जो इस समय लगभग 7 अरब है, 2050 तक बढ़कर 9 अरब हो जाएगी। इसलिए धरती के अनुप्रिया ओपन से मनुष्य जाति को और भी खतरा है। अधिक जनसंख्या और गिरती उपज के समय–समय पर हमारे वैज्ञानिकों ने जैविक खेती के लिए हमें प्रोत्साहित किया है। जैविक खेती से धरती की पौष्टिकता बनी रहती है और उपज के दाम भी अच्छे मिलते हैं। उपभोक्ता भी चाहता है कि इस वक्त चीजें खाएं लेकिन स्वच्छता रसायनों से उगने वाले खाद्य में सब्जियों में प्राप्त नहीं होती। भारत के किसान इस यथार्थ को आगे कब तक न करेंगे, कहा नहीं जा सकता। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती की ऊपरी परत का इसी प्रकार दोहन किया गया तो अगले 50 हजार सालों में धरती की उपज समाप्त हो सकती है। धरती की उपजाऊ क्षमता तभी बरकरार रह सकती है जब उसमें ऐसे पदार्थ न डाले जाएं जो धरती के कुदरती पदार्थ नहीं है। जहां तक हो सके गोबर, गोमूत्र, आदि से बनी जैविक खाद सर्वोत्तम है।

भारत से प्रमुख जैविक निर्यातों में सन बीज सोयाबीन चाय, तिल, औषधीय पौधे चावल और दाले रही है वर्ष 2019–20 में विगत वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के साथ जैविक निर्यात अब लगभग 6000 करोड़ रुपए का हो गया है।

– शिवनंदन लाल

यदि हम रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों की जगह जैविक खादों का प्रयोग करें तो घूम जल एवं वातावरण शुद्ध रहेगा और मनुष्य के साथ–साथ सभी जीवधारी स्वस्थ रहेंगे। भारतवर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और किसानों की मुख्य साधन भी खेती ही है। हरित क्रांति के समय से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक माना गया तथा खेती में अधिक मात्रा में गुरुवार को और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग शुरू हुआ। जिससे सामान्य और छोटे सामंत किसानों के पास कम जोत में अधिक लागत लग रही है और जल भूमि भाई के साथ ही साथ पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। पैदा होने वाले खाद्य पदार्थ भी जहरीले ही हो रहा है।

आज देश आजादी की 75 वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में ऐसी सभी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने टिकाऊ खेती के सिद्धांत पर जैविक खेती करने की सिफारिश की है। भारत सरकार इसके लिए व्यापक स्तर पर

प्रचार–प्रसार कर किसानों में जागृति फैला रही है। जैविक खेती से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। सिंचाई अंतराल में भी कमी आती है। वही रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है तथा फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। मिट्टी की दृष्टि से जैविक खाद का उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है व उसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा भूमि से पानी का वाष्पीकरण बहुत कम होता है। वही पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो भूमि के जलस्तर में भी वृद्धि होती है। मिट्टी, जल, खाद्य पदार्थ में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में कमी आती है। जैविक खेती की विधि रासायनिक खेती की तुलना में लगभग बराबर का ही उत्पादन देती है। जैविक खेती मृदा की उर्वरता और कृषकों का उत्पादन बढ़ाने में पूर्णतया सहायक है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जैविक खेती और अधिक लाभदाई है। जैविक खेती से लागत तो कम आती ही है किसान भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में भी जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं। आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण भूमि की उर्वरा शक्ति का क्षरण एवं लगातार कमजोर हो रहे मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यंत लाभदायक है। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए नितांत आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित न हो, शुद्ध वातावरण रहे एवं पौष्टिक आहार मिलता रहे, इसके लिए हमें जैविक खेती की कृषि पद्धतियों को अपनाना ही होगा, जो हमारे नैसर्गिक संसाधनों एवं मानवीय पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना सभी को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते हुए हमें खुशहाल जीवन जीने का राह दिखा सके।

जैविक कृषि का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप है जिसका उद्देश्य भूख को समाप्त करना, बेहतर पोषण, खाद्य सुरक्षा और कृषि को बढ़ावा देना है।

वैश्विक महामारी के कारण पूरे विश्व में बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित भोजन की मांग में वृद्धि हुई है। भारत जैविक कृषकों की संख्या के मामले में दुनिया में प्रथम तथा जैविक कृषि क्षेत्रफल के मामले में दुनिया में नौवें स्थान पर है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्य भी लक्ष्य प्राप्त करने के करीब है। जैविक कृषि वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित थोक खरीदारों से दूर रहकर या न्यूनतम प्रयोग के साथ की जाती है। जैविक खेती में भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र हरी खाद कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। जैविक कृषि में मिट्टी पानी रोगाणुओं और अपशिष्ट उत्पादों वानिकी और कृषि जैसे प्राकृतिक तत्वों का एकीकरण शामिल है। जैविक कृषि का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप है जिसका उद्देश्य भूख को समाप्त करना, बेहतर पोषण, खाद्य सुरक्षा और कृषि को बढ़ावा देना है। सरकार ने पहल करते हुए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चैन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना शुरू की है। यह सतत कृषि के लिए एक राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। यह योजना जैविक उत्पादन को प्रमाणित करने तथा ग्राहकों में विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है। परंपरागत कृषि विकास योजना जो कि 2015 में शुरू की गई थी सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के उप मिशन मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक प्रमुख घटक है। जैविक कृषि में कलस्टर दृष्टिकोण और भागीदारी गारंटी प्रणाली के माध्यम से जैविक गांव का विस्तार किया जा रहा है। भागीदारी गारंटी प्रणाली और जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के जरिए सरकार प्रमाणन को बढ़ावा दे रही हैं। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के जरिए स्थानीय स्तर पर विशेष उत्पादों की अधिक दृश्यता और बिक्री को प्रोत्साहित करना है, ताकि जिला स्तर पर रोजगार पैदा हो सके। एक जिला एक उत्पाद योजना ने छोटे और सीमांत किसानों को जैविक कृषि उत्पादन के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। जैविक ई–कॉमर्स प्लेटफार्म को खुदरा तथा थोक खरीदारों के साथ जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत वैश्विक और जैविक बाजारों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। भारत से प्रमुख जैविक निर्यातों में सन बीज सोयाबीन चाय, तिल, औषधीय पौधे चावल और दाले रही है वर्ष 2019–20 में विगत वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के साथ जैविक निर्यात अब लगभग 6000 करोड रुपए का हो गया है।

अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर में चल रहे कार्यक्रमों की कड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गत 18 जून को उर्वरकों के संतुलित प्रयोग अभियान की शुरुआत की है। फेसबुक लाइव के माध्यम से किसानों को जैविक खेती और गोबर के खाद के गुणों और उसके उपयोग के बारे में विशेष जानकारी देते हुए संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से जैविक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान किया है। ❑❑

लेखक आकाशवाणी में वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी हैं।

तालिबानी कट्टरवाद की आग में झुलसने को मजबूर अफगानी महिलाएं

वैसे तो तालिबान अपनी कूरता, दहशतगर्दी, एवं निर्दयता के लिए जाना जाता है। परन्तु इसके पहले निशाने पर होती है महिलाएं। तालिबानी व्यवसथा का अर्थ है महिलाओं के पढ़ने–लिखने, बिना बुर्का एवं पुरुष संबंधी के घर से बाहर जाने, टेलीविजन एवं सिनेमा देखने, संगीत सुनने, खेल खेलने, नौकरी करने, शासन एवं प्रशासन में भागीदारी आदि पर लगभग रोक। अधिकतर अफगानी महिलाओं की हाई–स्कूल के बाद ही जबरन शादी कर दी जाती है और उनमें से बहुतायत पूरी जिंदगी सहणी बनकर रहती है। वर्ष 1996–2001 के दौरान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज रहे तालिबान के जुल्मों की लम्बी फेहरिस्त है। जैसे, 90 के दशक में सुन्नी तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले शिया समुदाय हजारा के प्रमुख नेता अब्दुल अली मजारी की 1996 में हत्या, 2001 में बामियान प्रान्त स्थित बुद्ध की 1500 साल पुरानी बौद्ध प्रतिमाओं को गैर–इस्लामी बता डायनामाइट से उड़ाना, अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करना, पाकिस्तान के साथ मिलकर दिसंबर 1999 में भारतीय विमान का अपहरण कर यात्रियों को 8 दिन तक कंधार हवाई अड्डे पर अगवा कर रखने की साजिश करना, पच्चीस वर्षीय विमान यात्री रूपन कात्याल को उसकी नव–विवाहिता रचना के सामने ही विमान में चाकुओं से गोदकर हत्या करना आदि। अमेरिकी सेना की वापसी के संकेत मिलने के बाद से फिर महिलाओं से जुड़े अपराधों की बाढ़ सी आ गयी है। जैसे, जनवरी में उच्चतम न्यायलय की दो महिला न्यायाधीशों की हत्या, मार्च में मीडिया समूह में कार्यरत तीन महिलाओं की हत्या, सांसद एवं अफगान सरकार की और से तालिबानियों के साथ दोहा समझौता वार्ता में शामिल फावज़ा कूफ़ी पर जानलेवा हमला। तालिबान द्वारा खूनी संघर्ष से 15 अगस्त को फिर काबलु की सत्ता हथियाने से अफगानी महिलाओं के जेहन में वो क्रूर यादें फिर ताज़ा होने लगी। तालिबान द्वारा बंदूक के बल पर हथियाई सत्ता को संचालित करने के लिए घोषित तथाकथित सरकार के 33 मंत्रियों में एक भी महिला का न होना, अफगानी महिलाओं पर जुल्मों–सितम और बढ़ने का साफ संकेत है। तालिबानी सरकार में महिला मंत्री अथवा महिला मंत्रालय तो नहीं है। परन्तु बुर्का न पहनने, संगीत सुनने, खेल–खेलने, चुस्त कपडे पहनने, पुरुष संबंधी के बिना घर से बाहर जाने जैसे कृत्यों पर महिलाओ एवं लड़कियों की सार्वजनिक पिटाई एवं अन्य प्रताड़नाओं के लिए अच्छाई–बुराई मंत्रालय (Vice & Virtue Ministry) जरूर है।

अफगानी महिलाएं लम्बे संघर्ष से अर्जित सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक आजादी की कुर्बानी के लिए अब शायद ही तैयार हो। आज दुनिया को अफगानी महिलाओं के हक की लड़ाई को जीतने तक उनको सहयोग एवं समर्थन का आश्वासन देने की आवश्यकता है।

– डॉ. मनमोहन सिंह सिसोदिया

कट्टरवाद से ग्रस्त अफगानिस्तान में महिलाओं की दुर्दशा देख यह यकीन करना मुश्किल है कि अफगानी महिलाओं ने मतदान का अधिकार अमेरिका से भी एक वर्ष पहले वर्ष 1919 में प्राप्त किया। वर्ष 1919–29 की कालावधि में अफगानिस्तान के शासक

अमानुल्लाह खान ने महिलाओं को सवतंतता देने, शिक्षा को बढ़ावा देने तथा परिजनों से अपनी बहन–बेटियों को शिक्षित करने का आग्रह किया। उन्होंने जबरन विवाह, बाल–विवाह, वधु–मूल्य, बहुपत्नी–विवाह जैसी लैंगिक कुरीतियों का कानूनी उन्मूलन कर अफगानिस्तान को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। अमानुल्लाह ने अफगानी महिलाओं के लिए परदे की अनिवार्यता को खत्म किया। पश्चिमी पहनावे की अनुमति दी। वर्ष 1928 में 15 अफगानी लड़कियों को उच्च–शिक्षा के लिए तुर्की भेजने जैसे प्रगतिशील कार्यों की शुरुआत की। अमानुल्लाह की पत्नी सोरया तारज़ी ने भी तेजी से अफगानी महिलाओं की स्थिति सुधारने एवं रूढ़िवादिता की दलदल से निकालने के लिए भागीरथी प्रयास किये। सोरया ने पहली पत्रिका, पहला बालिका स्कूल, पहला महिला संगठन, पहला महिला चिकित्सालय प्रारम्भ करने महिलोन्मुखी विकास की शुरुआत की। यह शायद अफगानी महिलाओं का दुर्भाग्य ही था कि सामाजिक सुधारों के विरोध के कारण देश में भड़के गृह–युद्ध से अमानुल्लाह शासन का अंत हो गया और नए शासक ने अमानुल्लाह शासन में प्रारम्भ हुए महिला सुधारों को रोक दिया। यहाँ तक कि रढ़िवादी एवं कट्टरपंथी सोच वाले शासन ने उच्च शिक्षा के लिए तुर्की भेजी गयी अफगानी लड़कियों को भी वापिस बुला लिया। नादिरशाह एवं जहीरशाह के शासन में फिर महिला अधिकारों के लिए कार्य प्रारम्भ हुए। शैक्षणिक सत्र 1950–51 में काबुल विश्वविद्यालय में पहली बार महिला छात्राओं को प्रवेश दिए गए, 1957 में काबुल रेडियों में महिलाओं को नौकरी दी गयी, कैरो में एशियाई वीमेन कांफ्रेस में अफगानी महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल को भाग लेने के लिए भेजा, 1958 में महिलाओं को मिट्टी–बर्तन बनाने वाली सरकारी फैक्ट्रियों मे काम करने की अनुमति दी। 1964 के संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए। जिससे उन्हें वैज्ञानिक, अध्यापक, डॉक्टर, पत्रकार, एंकर आदि बनने के अवसर प्राप्त होने शुरु हुए। परिणामस्वरूप वर्ष 1991 में लगभग 7000 महिलाएं उच्च शिक्षण संस्थाओं में तथा 230,000 महिलाएं स्कूलों में पंजीकृत थी। साथ ही 90 महिला प्रोफेसर एवं 22000 महिला अध्यापिकाएं कार्यरत थी।

वर्ष 1992 से शुरु हुए मुजाहिद्दीन एवं तालिबान युग में अधिकतर महिलाएं घर में नजरबंद रहने के लिए बाध्य रही। तालिबान एवं अलकायदा के कई लड़ाके महिला तस्करी, महिला अपहरण, महिलाओं की खरीद–फरोख्त, वेश्यावृति कराने में संलिप्त पाए गए। वर्ष 1998–2001 के दौरान तालिबान ने कठोर लिंगभेद आधारित क्रूर तानाशाही व्यवस्था लागू की। जिसमें महिलाओं को शायद ही कभी मनुष्य समझा गया हो। तालिबान शासन में बलात शादी, सम्मान के लिए हत्या, बलात्कार, अंगभंग करना, बलात वेश्यावृति, बिना बुर्का एवं मेहरम के घर से बाहर जाने एवं चुस्त कपड़े पहनने पर हत्या करने, कर्ज के बदले पिता/भाई/संबंधी दारा जबरन शादी करने जैसे अमानवीय कृत्यों की जैसे बाढ़ सी आ गयी। पुनः 2004 में बने नए संविधान के माध्यम से महिलाओं एवं पुरुषों को समान अधिकार दिए गए एवं संसद की 250 में से 27 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी। तालिबान दारा पुनः अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने से महिलाओं की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि तालिबान जैसे कट्टर आतंकवादी संगठन बार–बार अफगानी महिलाओं द्वारा अर्जित स्वतंत्रता को खंडित कर पूरी दुनिया को चुनौती दे रहे है। तालिबान की विश्वविद्यालय के प्रोफसेरों एवं निजी संस्थानों के मालिकों के साथ हुई बठैक के बाद जारी फतवे में लड़के–लड़कियो के साथ–साथ एक ही विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में पढ़ने (सहशिक्षा) को समाज की सभी बुराइयों की जड़ बताते हुए हेरात प्रान्त में सहशिक्षा पर रोक लगा दी गयी है। तालिबान के खौफ का आलम यह है कि अफगानी महिला कार्यकर्त्ता शबाना बसिज़–राशिख दारा चलाये जा रहे अफगानिस्तान के एकमात्र आवासीय बालिका स्कूल, स्कूल ऑफ लीडरशिप, को न केवल बंद करना पड़ा अपितु वहां पढ़ रही छात्राओं एवं उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए स्कूल के कागजातों को भी जलाकर नष्ट करना पड़ा। तालिबानी आतंकियों के लिए महिलाओं की जान की कीमत का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि कुछ तालिबानियों ने एक अफगानी महिला की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी चूँकि उनके द्वारा महिला से जबरन बनवाया गया खाना उन्हे पसंद नहीं आया।

तालिबान द्वारा दूसरी पारी में खुद को दुनिया के सामने उदारवादी दिखाने के लिए तालिबानी प्रवक्ता जब्हुल्लाह मुजाहिद द्वारा किये गए दावे, जैसे शरिया कानून के अनुसार महिलाओं को जीने, काम करने, पढ़ने–लिखने, पहनने आदि के निर्णय इस्लामिक उलेमाओं द्वारा करने, हवा–हवाई ही प्रतीत हो रहे है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि इक्कीसवी सदी में महिलाओं के पढ़ने, लिखने, काम करने एवं पहनावे आदि का निर्णय एक आतंकी संगठन करेगा। आंकड़े बताते है कि अफगानिस्तान में तालिबान मुक्त शासन के दो दशकों मे वहां की महिलाओं ने अनेकों कीर्तिमान गढ़े हैं। अफगानी अधिवक्ता, राजनीतिज्ञ, उद्यमी एवं 26 साल की उम्र में नियुक्त होने वाली सबसे कम उम्र की महिला मेयर ज़रीफ़ा ग़फ़ारी के अनुसार अफगानिस्तान में महिलाओं के स्वामित्व वाले लगभग सत्तावन हजार (57,000)

व्यापार है। इन व्यापारों ने लगभग एक लाख तीस हजार (1,30000) नौकरियां पैदा की है। तालिबान मुक्त अफगानिस्तान में महिला साक्षरता दर 17 प्रतिशत से 30 प्रतिशत पहुंच गयी, पैंतीस (35) लाख लड़कियों का स्कूल में पंजीकरण हुआ, लगभग एक लाख (1,00,000) लड़कियां विश्वविद्यालयों में पढ़ रही थी, महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 56 साल से लगभग 66 साल हो गयी, बच्चे के जन्म के दौरान मृत्यु दर प्रति एक लाख, ग्यारह सौ (1,100) से प्रति एक लाख तीन सौ छियानवे (396) हो गयी। न तो तालिबान शासन के पहले कार्यकाल में और न ही वर्तमान तालिबानी हुकूमत में कोई महिला है। जबकि तालिबान मुक्त अफगानिस्तान में वर्ष 2020 में लगभग 21 प्रतिशत महिलाएं सरकारी सेवाओं में थी एवं 27 प्रतिशत सांसद महिलाएं थी। पिछले दो दशकों में अनेकों अफगानी लड़कियां सांसद, प्रांतों की गर्वनर, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, अध्यापक, प्रशासक एवं एंकर बनकर उभरी है। वो चाहती है कि अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार हो, मानवाधिकारों का सम्मान हो, महिलाओं की शिक्षा/काम/व्यापार/खेल आदि क्षेत्रों तक पहुंच हो। अमरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अफगानिस्तान से सेना वापसी की घोषणा के बाद से ही तालिबान को सत्ता में आने के अंदेशे से भारी संख्या में लोग अफगानिस्तान छोड़ दूसरे देश में शरण लेने के लिए भागने लगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मई के अतं से लगभग 2.5 लाख अफगानी देश से भागने के लिए बाध्य हुए हैं। जिनमें से 80 प्रतिशत महिलाएं एवं बच्चे हैं। तालिबान के इस आश्वासन के बाद भी कि, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, 12 से 45 साल की उम्र की महिलाओं की सूची बनायी जा रही है। तालिबान के पहले कार्यकाल के आधार पर संदेह है कि इन महिलाओं को बलपूर्वक तालिबान लड़ाकों की पत्नियां बनाया जा सकता है। लड़ाकों द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न, बलात्कार एवं सार्वजनिक हत्या की खबरें भी लगातार आ रही हैं।

जो महिलाएं अफगानिस्तान के विकास की सहभागी एवं आशा की किरण बनकर उभरी थी आज खुद अपनी जान एवं आबरू बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। अतः दुनिया को तालिबान द्वारा स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए किये जा रहे वादों पर न जाकर उसके कृत्यों एवं इतिहास के आधार पर निर्णय करना चाहिए। किसी भी देश द्वारा तालिबानी सत्ता को मान्यता देने से पहले महिलाओं को सम्पूर्ण अधिकार देने की पूर्व शर्त अवश्य थोपनी चाहिए। ऐसे देशों को सिर्फ वादों और आश्वासनों पर भरोसा न कर यह सुनिश्चित भी करना चाहिए कि तालिबान अपनें महिला सशक्तिकरण के वादे को निभाए एवं आश्वासन तथा जमीनी हकीकत में एकरूपता दिखाए। किसी भी देश द्वारा अपने राजनैतिक अथवा आर्थिक लालच के चक्कर में ऐसी सत्ता को मान्यता देना दुनिया भर में महिला अधिकारों की लड़ाई को कमजोर करेगा। यह और भी शर्मनाक है कि स्वार्थवश कुछ महिलाएं खुद इस लड़ाई को कमजोर कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह भारत सरकार को तालिबान का उदाहरण देकर यह धमकी दी है कि, "जिस वक्त बर्दास्त का यह बांध टूट जायेगा, तब आप नहीं रहोगे। पड़ोस (अफगानिस्तान) में देखो क्या हो रहा है? उनको भी वहां से बोरिया बिस्तर लेकर वापस जाना पड़ा"। यह न केवल निंदनीय है अपितु सम्पूर्ण महिला जाति का अपमान है। लगता है महबूबा दूरदृष्टि दोष के कारण अपने पड़ोस मे हो रहे महिला उत्पीड़न को नहीं देख पा रही है। जितनी व्याकुल और अधीर महबूबा धारा 370 के लिए है, उतनी व्याकुल तालिबान एवं उसके संरक्षक पाकिस्तान से महिला अधिकारों की मांग करने के लिए क्यों नहीं है? जिस तरह वो पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए उत्सुक रहती है, क्या तालिबान के सरंक्षक पाकिस्तान से वो कभी पूछेगी कि अफगानिस्तान में महिलाओं का उत्पीड़न कब बंद होगा? उनकी संवेदना अफगानी पॉप गायिका आर्यना सईद जैसी महिलाओं के साथ क्यों नही है जिन्हें तालिबान के डर से अपने वतन अफगानिस्तान को छोड़ अमेरिका में शरण लेनी पड़ रही है।

तालिबान के तेवरों से यह साफ है कि वो अपने पहले कार्यकाल (1996–2001) की भांति ही इस बार भी न तो दुनिया की प्रवाह करेगा और न ही अपनी सोच एवं व्यवहार में बदलाव करेगा। तालिबान अफगानिस्तान को शिक्षा, विज्ञान एवं प्रजातंत्र आधारित विकास के रास्ते पर नहीं वरन् रूढ़िवाद, कट्टरवाद एवं आतंकवाद की पुरानी एवं अंधेरी गलियों में ही ले जाने का प्रयास करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्तासीन होने से पिछले 20 सालों में अफगानी महिलाओं द्वारा शिक्षा, नौकरी, राजनैतिक भागीदारी, एवं व्यापार आदि के क्षेत्र में अर्जित सफलता एवं स्वतंत्रता पर पानी फिरने का खतरा है। नब्बे के दशक के उलट इस बार अफगानी महिलाओं द्वारा भेदभाव, शोषण, एवं उत्पीड़न के खिलाफ अपनी जान की प्रवाह किये बिना आवाज उठाने से एक आशा की किरण जरूर दिख रही है। अफगानी महिलाएं लम्बे संघर्ष से अर्जित सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक आजादी की कुर्बानी के लिए अब शायद ही तैयार हो। आज दुनिया को अफगानी महिलाओं के हक की लड़ाई को जीतने तक उनको सहयोग एवं समर्थन का आश्वासन देने की आवश्यकता है। ❑❑

(गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश))

एक महान व्यक्तित्वः पंडित दीनदयाल उपाध्याय

कहा जाता है कि कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग महानता अर्जित करते हैं और कुछ पर महानता थोप दी जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने महानता अर्जित की थी।

युगदृष्टान पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 ई. को उनके नाना चुन्नीलाल शुक्ल के घर में हुआ था। भारतीय सामाजिक परंपरा के मुताबिक पहला प्रसव महिला के मायके में होता है। इसी मान्यता के मुताबिक दीनदयाल जी का जन्म उनके नाना के घर राजस्थान के धनकिया गांव में हुआ था। वैसे उनका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा का नांगला चंद्रभान है। पंडित जी के पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय ब्रज मथुरा में जलेसर रेलवे मार्ग पर एक स्टेशन पर स्टेशन मास्टर थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बचपन असहनीय परेशानियों के बीच बीता था। दीनदयाल जी मात्र 3 साल के थे, तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया। 7 वर्ष की छोटी सी आयु में मां रामप्यारी रामजी को प्यारी हो गईं। छोटी सी आयु में मां–बाप के आश्रय व ममता से वंचित हो गये।

पंडित जी होनहार थे, ईश्वर की कृपा से बुद्धि तेज थी। उन्होंने कल्याण हाई स्कूल सीकर से मैट्रिक की परीक्षा उस जमाने में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उन्हें अजमेर बोर्ड और स्कूल दोनों की तरफ से एक–एक स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। 2 साल बाद बिडला कॉलेज पिलानी से हायर सेकेंड्री परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी प्राप्त की। इस बार भी उन्होंने दो स्वर्ण पदक प्राप्त किये। वर्ष 1939 में पंडित जी ने सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर से गणित विषय में बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। यहीं उनकी भेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं से हुई। पंडित जी का जीवन अब एक नई दिशा की ओर मुड़ गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के तपस्वी जीवन से प्रभावित होकर उनके मन में भी देश सेवा करने का विचार आ गया। पंडित जी ने आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में एम.ए. में प्रवेश ले लिया, परंतु किन्हीं कारणों से कॉलेज उन्हें बीच में ही छोड़ना पड़ा। राष्ट्र के प्रति समर्पण होने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि वे नौकरी नहीं करेंगे। राष्ट्रीय एकता के लिए कटिबद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अपना सारा जीवन अर्पित करने की भीष्म प्रतिज्ञा ली।

संघ की शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वे संघ के 40 दिवसीय शिविर में भाग लेने के लिए नागपुर चले गये। 1951 ई. तक वे संघ में विभिन्न पदों पर रहकर समाज चेतना का कार्य करते रहे।

वर्ष 1951 ई. में डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जनसंघ की स्थापना की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उसका प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया और उन्होंने अपनी सेवाएं जनसंघ को अर्पित कर दीं। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित जी की सेवाओं व संगठन

पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत में लोकतंत्र के उन पुरोधाओं में से एक हैं, जिन्होंने इसके उदार और भारतीय स्वरुप को गढ़ा है। पंडित जी को एक प्रख्यात चिंतक भी माना जाता है।

मुकेश कुमार वर्मा

क्षमता से इतने अधिक प्रभावित हुए कि कानपुर अधिवेशन के बाद उनके मुंह से यही उदगार निकले कि 'यदि मेरे पास और दो दीनदयाल होते तो मैं भारत का राजनीतिक रूप ही बदल देता।" दुर्भाग्य से 1953 ई. में डा. मुखर्जी का दुखद निधन हो गया। डॉक्टर मुखर्जी की मौत के बाद भारत का राजनीतिक स्वरूप बदलने की जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल जी के कंधों पर आ गई। पंडित जी ने अपना कार्य विशेष ढंग से पूर्ण किया। 1967 के आम चुनाव के परिणाम सामने आए तब देश आश्चर्यचकित रह गया। अब पंडित जी एक महान नेता बन चुके थे। परंतु वे बहुत ही साधारण ढ़ंग से रहते थे। वे अपने कपड़े स्वयं ही साफ करते। वे स्वदेशी के बारे में शोर नहीं मचाते थे परंतु वे कभी भी विदेशी वस्तु नहीं खरीदते थे।

स्वाधीनता आंदोलनों के दौरान पत्रकारिता का उपयोग राष्ट्रभक्ति की अलख जगाने के लिए पंडित जी ने किया। राजनीति में सक्रिय होने के साथ–साथ साहित्य सेवा भी की। उनके लेख हिंदी व अंग्रेजी में विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। उनकी बौद्धिक सामर्थ्य का हमें पता इस बात से चलता है कि वे कितने महान थे। उन्होंने एक ही बैठक में (16 घंटे लगातार बैठकर) एक लघु उपन्यास "चंद्रगुप्त मौर्य" लिख डाला था। लखनऊ में राष्ट्रधर्म प्रकाशन की स्थापना की और राष्ट्रवादी विचारों को प्रसारित करने के लिए मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म शुरू की। बाद में पांचजन्य (साप्ताहिक), स्वदेश (दैनिक) की भी शुरुआत की। पंडित जी एक उच्चकोटि के पत्रकार थे।

11 फरवरी 1968 ई. को मुगलसराय रेलवे यार्ड में उनका शव मिला... सारा देश शोक में डूब गया। उनकी एक साजिश के तहत हत्या कर दी गई। दुनिया ने भारत के सबसे बुरे कांडों में से एक माना पंडित जी की हत्या की घटना को। बेहद दुखद बात है कि पंडित जी की रहस्यमई स्थिति में हुई हत्या की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ सकी है...।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत में लोकतंत्र के उन पुरोधाओं में से एक हैं, जिन्होंने इसके उदार और भारतीय स्वरुप को गढ़ा है। पंडित जी को एक प्रख्यात चिंतक भी माना जाता है। उन्होंने राजनीति में सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर प्रवेश नहीं किया था। उनके अनुसार– 'एकात्म मानवतावाद, प्रत्येक मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एक एकीकृत कार्यक्रम है।'

"वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना से ओतप्रोत पंडित दीनदयाल जी को कोटि–कोटि नमन। ❑❑

मुकेश कुमार वर्माः ग्राम रिहावली, पोस्ट तारोली गुर्जर, तहसील फतेहाबाद, जनपद आगरा, उत्तर प्रदेश–283111

संदर्भ–

1. *न्यू इंडिया समाचार, पत्रिका– अंक 6, सितंबर (प्रथम)– 2021,*
2. *ब्रज संवाद, पत्रिका–अंक 7, अक्टूबर– 2021,*
3. *विकिपीडिया एवं गूगल सर्च इंजन।*

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें : **http:// swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC: BKID-0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

महान चिंतक, दार्शनिक एवं समाज सुधारक दत्तोपंत ठेंगड़ी के विचारों की प्रासंगिकता

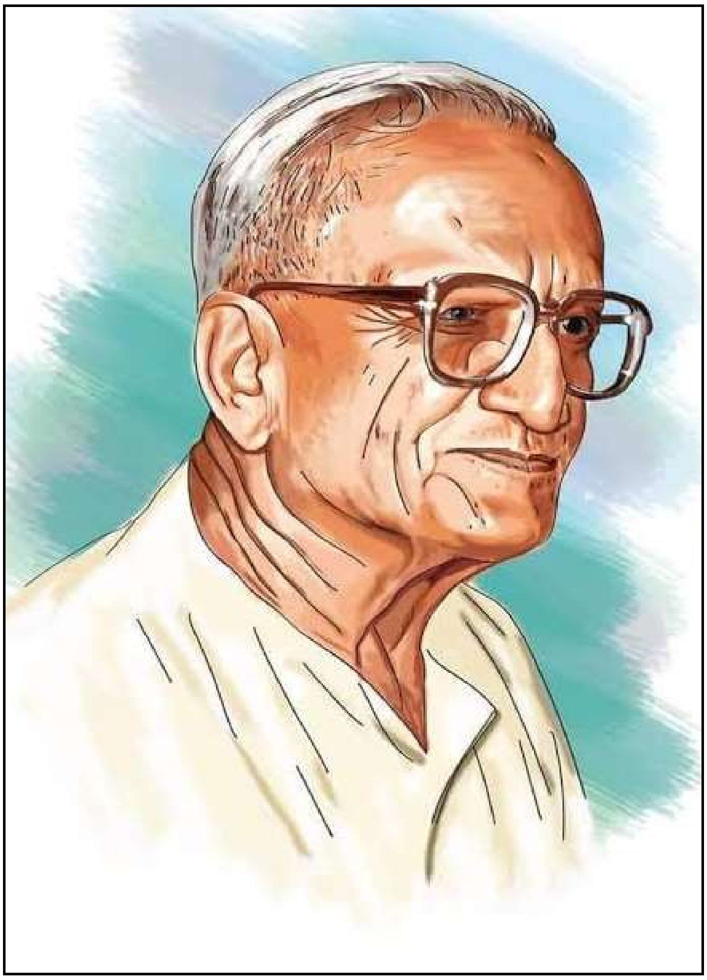

आज दुनिया के सामने पर्यावरण, आर्थिक असमानता, आतंकवाद जैसे संकट गहराते जा रहे हैं। विश्व के कुछ देश और वर्ग की अधिनायकत्व वाली प्रवृत्ति के कारण एक ओर जहां संसाधनों का केंद्रीयकरण बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर दुनिया के एक बड़े तबके के बीच विकास की कोई पदचाप सुनाई नहीं देती। ऐसे समय में महान चिंतक, दार्शनिक एवं समाज सुधारक दत्तोपंत ठेंगड़ी के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ गई है। दत्तोपंत ठेंगड़ी बौद्धिक प्रवर्तक, संगठनकर्ता और दार्शनिक से आगे बढ़कर समाज सुधारक इसलिए थे, क्योंकि उन्होंने भारतीयता के दर्शन को अपने कृतित्व से फलीभूत किया।

10 नवंबर, 1920 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के अरवी में जन्मे दत्तोपंत ठेंगड़ी महज 12 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन में शामिल हुए। ठेंगड़ी जी ने भारतीय मजदूर संघ (1955), भारतीय किसान संघ (1979), सामाजिक समरसता मंच (1983) और स्वदेशी जागरण मंच (1991) जैसे अनेक संगठनों की स्थापना की। ये सभी संगठन आज अपने–अपने कार्यक्षेत्र में उद्देश्यों की पवित्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दत्तोपंत ठेंगड़ी सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर इतनी सूक्ष्म दृष्टि रखते थे कि उनके आख्यान भविष्य की राह बताने वाले होते थे। शीत युद्ध की समाप्ति के दौर में ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि दुनिया से लाल झंडे की विदाई का समय आ गया है। यह बात आज सच प्रतीत होती है।

दत्तोपंत ठेंगड़ी ने वैश्वीकरण को आर्थिक स्वरूप में सीमित न रहकर मानव केंद्रित आवरण देने का आह्वान किया। वह कहते हैं कि समावेशी और वांछनीय प्रगति और विकास के लिए एकात्म दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। वर्तमान में दुनियाभर में उपभोक्तावाद जिस आक्रामकता से बढ़ रहा है, उससे आर्थिक असमानता चरम पर है। इसके समाधान के लिए ठेंगड़ी जी ने हिंदू जीवन शैली और स्वदेशी को विकल्प बताया। ठेंगड़ी जी कहते हैं, हमें अपनी संस्कृति, वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य के लिए आकांक्षाओं के आलोक में प्रगति और विकास के अपने माडल की कल्पना करनी चाहिए। विकास का कोई भी विकल्प जो समाज के सांस्कृतिक मूल को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया हो, वह समाज के लिए लाभप्रद नहीं होगा।

अर्थव्यवस्था को लेकर ठेंगड़ी जी के विचार राष्ट्रहित को वरीयता देने वाले थे। उद्योगों का स्वामित्व, उद्योग और राष्ट्रीय हित की आवश्यकता के अनुरूप सरकारी, सहकारी, निजी, संयुक्त उपक्रमी हो सकता है। उन्होंने साम्यवादियों के एकाधिकार वाले श्रम क्षेत्र में राष्ट्रीयता का ऐसा शंखनाद किया, जिसके स्वर में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन का उत्थान राष्ट्रहित के साथ समवेत हो रहा है। उन्होंने श्रमिक आंदोलन में राष्ट्रीय हित के लिए सहयोग,

समन्वय और सहकारवाद के साथ श्रम की प्राण प्रतिष्ठा की।

यही वजह है कि आज वर्ग संघर्ष की विचारधारा लगभग अप्रासंगिक हो चुकी है। आज देश जिस आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है, उसे ठेंगड़ी जी ने देशभक्ति के उपक्रम के रूप में परिभाषित किया है। वह कहते हैं कि यह स्वदेशी की एक आकर्षक और सभी के लिए स्वीकार्य परिभाषा है जो राष्ट्रीयता की भावना और कार्य की इच्छा को सामने लाती है। आज जिस प्रकार समाज जीवन में आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति बढ़ रही है, ऐसे समय में संपूर्ण मानवीय जीवन के लिए दत्तोपंत ठेंगड़ी के विचार समाधान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ❑

प्रस्तुतिः स्वदेशी संवाद

श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी की स्मृति में जारी हुआ डाक टिकट

भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी की 101वी जयंती के मौके पर केंद्रीय संचार एवं रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने डाक टिकट जारी किया। उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निवर्तमान सरकार्यवाह सुरेश (भैया जी) जोशी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी शामिल हुई। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर उन्होंने दत्तोपंत ठेंगड़ी की पुस्तकों का बड़ी गहनता से अध्ययन किया और पाया कि उनके विचारों में अद्‌भुत दर्शन से अवगत होने को मौका मिला। उन्होंने कहा कि ठेंगड़ी की सोच किसी यूनिवर्सिटी में पढने से नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन की यूनिवर्सिटी में पढने से आएगी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निवर्तमान सरकार्यवाह सुरेश (भैया जी) जोशी ने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी के विचारों में स्पष्टता थी। ठेंगड़ी का चिंतन और दर्शन कार्यकर्ताओं के लिए सदैव प्रेरणादायी है। उनका मानना था कि संगठन मजदूरों के हित में काम करेगा, लेकिन मजदूर भी राष्ट्र हित में काम करेंगे। बंद और हड़ताल का वह बहुत ज्यादा समर्थन नहीं करते थे। चाहे कुछ मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, की जगह पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को राष्ट्र हित में एक परिवार के रूप में काम करने के विचार को प्रतिपादित किया।

भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरण्मय जे.पण्डया ने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी के भाषण, लेख और संस्मरण के चलते वह हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में सदैव हमारे बीच में है। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने 1955 में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की तो भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच और कई संगठनों की स्थापना का श्रेय भी ठेगड़ी को जाता है। राज्यसभा में उनके दिए गए भाषण उनकी लिखी गई पुस्तकें वह सदैव हमारा मार्गदर्शन करती है।

भारतीय मजदूर संघ के दिल्ली प्रदेश के महामंत्री डॉ दीपेंद्र चाहर ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि दत्तोपंत ठेंगड़ी की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का कार्यक्रम विज्ञान भवन में आयोजित किया जाए। आज भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनीश मिश्रा सहित संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। ❑

https://www.navodayatimes.in/news/national/ashwini-vaishnav-releases-postage-stamp-in-memory-of-dattopant-thengadi/185932/

स्वदेशी जागरण मंच ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ मोर्चा

स्वदेशी जागरण मंच ने विदेशी ई–कॉमर्स ब्रांडों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। सूक्ष्म व लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बहुराष्ट्रीय (एमएनसी) ई–कॉमर्स ब्रांडों के बहिष्कार की मांग की है। भारत छोड़ो मोर्चा के तहत इनका बहिष्कार करने और स्वदेशी अपनाने की अपील की है।

मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि ई–कॉमर्स कंपनियां भारत में अवैध व्यापार गतिविधियों में लिप्त है। ये कंपनियां नियमों की धज्जियां उडा रही है, जो सस्ती कीमत पर उत्पाद देने और विभिन्न प्रकार की छूट का प्रलोभन देती है। इससे खुदरा विक्रेताओं और छोटे विक्रेताओं का कारोबार नष्ट होता जा रहा है।

प्रदेश संयोजक विकास चौधरी ने बताया कि उपभोक्ताओं और सरकार को एफडीआई ई–कॉमर्स कंपनियों के उत्पादों को पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए। इसे लेकर आयोजित एक वेबिनार में इंडियन सेलर्स कलेक्टिव के राष्ट्रीय समन्वयक अभय राज मिश्रा ने कहा कि छोटे खुदरा विक्रताओं के लिए धनतेरस की चमक विदेशी कंपनियों ने छीन ली है। इनका बहिष्कार होना चाहिए। इसे लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। एडवोकेट एमएम शर्मा ने कहा कि इस समस्या का समाधान केवल प्रतिस्पर्धा कानून के तहत उपलब्ध है। डिजिटल गेटकीपर बनना चाहिए। फेडरेशन आफ ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के महासचिव श्रीराम बक्सी ने कहा कि खुदरा उद्योग को नष्ट करने के पहले हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को रोकना होगा।

भारतीय अर्थतंत्र में अब विदेशी ताकतों की कोई जगह नहीं

स्वदेशी जागरण मंच ने विदेशी ई–कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनके आर्थिक साम्राज्यवादी नीति से भारत के करोड़ों ,लघु और मध्यम उद्योगों को होने वाले नुकसान को देशहित के विरूद्ध बताया है। स्वदेशी

जागरण मंच पूर्वी उप्र ने पूर्वी उप्र के प्रांत संयोजक सत्येन्द्र जी के नेतृत्व में स्वदेशी स्वीकार विदेशी बहिष्कार की स्वदेशी संदेश यात्रा निकाली,इस कार्यक्रम में विभाग संयोजक शैलेंद्र जी, वैष्णव पांडे,कविता मालवीय महानगर संयोजिका, महिला बौद्धिक प्रमुख डॉ भारती मिश्र, रीना सिंह, अक्षय सिन्हा, नवीन जी, कन्हैयालाल भारती जी, शारदा जी एवं सभी स्वदेशी प्रेमी बंधुओ/भगनियों की उपस्थिति रही।

http://www.jantakiawaz.org/local/uttar-pradesh/news-647545

ई–कामर्स कंपनियों के विरोध में देश भर में किया प्रदर्शन, पुतले जलाए

देश भर में मल्टी नेशनल ब्रांडो के बहिष्कार की मांग करते हुए सूक्ष्म और लघु उद्यमों और पारिवारिक व्यवसायों की आवाज को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध गैर सरकारी व्यापार संघ, इंडियन सेलर्स कलेक्टिव ने विरोध के तौर पर भारत छोड़ो मोर्चा के बैनर तले देश भर में विरोध प्रदर्शन किया और पुतले जलाए। इस अभियान के तहत एक राष्ट्रीय सम्मेलन और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जमीनी स्तर पर विरोध भी किया गया। इसके तहत सरकार और उपभोक्ताओं दोनों से मल्टी नेशनल ब्रांडो का बहिष्कार करने और स्वदेशी विक्रेताओं के उत्पाद को अपनाने का आग्रह किया गया, जिससे इस त्योहारी सीजन में छोटे व्यापारियों को राहत मिल सके।

बहुराष्ट्रीय ई–कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक बिकने वाले उत्पादों को ट्रैक करती हैं। ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस समान खूबियों वाले सस्ते मूल्य पर अपना निजी ब्रांड लॉन्च करने के लिए उनके डिजाइन की नकल भी करते हैं। इससे संबंधित राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक डॉक्टरक अश्विनी महाजन ने कहा, विदेशी बहुराष्ट्रीय ई–कामर्स कंपनियां भारत में अवैध व्यापार गतिविधियों में लिप्त हैं। ये कंपनियां अन्य रिटेल कंपनियों के माध्यम से नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। ये सस्ती कीमत पर उत्पाद देने और विभिन्न प्रकार की छूट देती हैं जिससे ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं और छोटे विक्रेताओं का कारोबार नष्ट होता है।

इंडियन सेलर्स कलेक्टिव के राष्ट्रीय समन्वयक अभय राज मिश्रा ने कहा, विदेशी ई–कामर्स विक्रेताओं ने पिछले कई सालों से छोटे खुदरा विक्रेताओं से धनतेरस की चमक छीन ली है। इंडियन सेलर्स कलेक्टिव ने उपभोक्ताओं और सरकार को विदेशी ई कामर्स कंपनियों के उत्पादकों का बहिष्कार करने और भारतीय विक्रेताओं के उत्पाद को अपनाने की अपील की है। गलत बहुराष्ट्रीय ई कामर्स कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई में आने वाले कानूनों बाधाओं पर चर्चा

करते हुए एडवोकेट एम.एम शर्मा ने कहा, इस समस्या का समाधान केवल प्रतिस्पर्धा कानून के तहत उपलब्ध है। डिजिटल गेटकीपर बने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई कामर्स प्लेटफार्म द्वारा अनुचित व्यापार गतिविधियों जैसे बहुत ज्यादा कैश बर्न के जरिये भारी छूट देना, अपने ब्रांड को वरीयता देना, प्लेटफार्म पर न्यूट्रल व्यवस्था नहीं होना, पसंदीदा डीलरों के लिए विशेष व्यवस्था करना जैसे अनैतिक काम किए जाते हैं। (https://newstodaynetwork.com/)

महिलाओं में जगाना होगा स्वदेशी का भावः कश्मीरी लाल

स्वदेशी जागरण मंच जैसलमेर की ओर से स्थानीय जगानी भवन में व्याख्यान का आयोजन संपन्न हुआ। व्याख्यान के मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल ने कहा कि घर की आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में महिलाओं की महत्ती भूमिका होती है इसलिए हमें मिलकर महिलाओं में स्वदेशी के प्रति वह भाव जागृत करना होगा जिससे वे बाजार जाकर स्वदेशी सामग्री खरीदें। उन्होंने कहा कि हमें अमेजॉन जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों से माल नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि हमारे सुख दुःख के साथी यह छोटे छोटे दुकानदार जो प्रतिदिन हमारी आवश्यक जरूरतों को पूरा कर महीनों तक उधार भी रखते हैं एवं आवश्यकता पडने पर हमारे सहयोग में खड़े भी रहते हैं। अगर हम बड़ी कंपनियों से माल खरीदेंगे तो छोटे–छोटे रोजगार खत्म हो जाएंगे जिससे देश में बेरोजगारी भारी मात्रा में बढ़ेगी और युवाओं में अवसाद उत्पन्न होगा।

अध्यक्षता करते हुए से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघचालक अमृतलाल दैया ने बताया कि हमारे जिले का स्वदेशी में क्या योगदान हो सकता है, इस प्रकार का हमें विचार करना चाहिए। दीपावली के अवसर पर स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी के दीपक तथा बच्चों के खिलौने हमें स्थानीय स्तर पर खरीदने चाहिए।

कार्यक्रम के एक अन्य मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठन भागीरथ चौधरी ने बताया कि जैसलमेर जैव विविधता में विलक्षण है। इस क्षेत्र में बहुत सारी योजनाओं के द्वारा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। यहां पर्यटन के कारण विदेशी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव रहता है इसलिए हमें सजगतापूर्वक आने वाली पीढ़ी में हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, इसकी चिंता भी करनी चाहिए। मंच के क्षेत्रीय संयोजक डॉ. धर्मेंद्र दुबे ने कहा कि अर्थतंत्र को व्यवस्थित करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की गई है। मंच के जिला संयोजक भूरसिंह मोढ़ा ने सबका धन्यवाद ज्ञापन दिया।

https://www.patrika.com/jaisalmer-news/sense-of-swadeshi-has-to-be-awakened-in-women-kashmiri-lal-7144476/

स्वदेशी जागरण मंच ने फूंका अमेजन कंपनी का पुतला

स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्र संयोजक डॉ. राजीव कुमार व प्रांत संयोजक अमितेश अमित के अलीगढ़ प्रवास के दौरान शनिवार को महानगर सह संयोजक ह्रदेश गुप्ता के आवास पर बैठक की। इसके बाद यहां पदाधिकारियों ने अमेरिकी ई–कॉमर्स कंपनी अमेजन का पुतला फूंका।

क्षेत्र संयोजक डॉ. राजीव कुमार ने सतत विकास एवं रोजगार संवर्धन पर विचार व्यक्त करते हुए गरीबी मुक्त, रोजगार युक्त व समृद्धि युक्त भारत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख राष्ट्रवादी पत्रिका पांचजन्य ने अमेरिकी ई–कॉमर्स कंपनी अमेजन को ईस्ट इंडिया कंपनी –2 करार दिया है। पत्रिका के नवीनतम अंक में कहा गया है कि इस कंपनी ने मनमाफिक सरकारी नीतियों के लिए रिश्वत के तौर पर करोड़ों रुपये का भुगतान किया है।

प्रांत संयोजक अमितेश अमित ने स्वदेशी जागरण मंच द्वारा दिल्ली में निर्माणाधीन स्वदेशी शोध संस्थान भवन के बारे में बताया। प्रांत संपर्क प्रमुख डॉ. राजीव अग्रवाल ने स्वदेशी जागरण मंच की विगत गतिविधियों पर प्रकाश डाला। अलीगढ़ इकाई से दिल्ली में निर्मित होने जा रहे शोध संस्थान के लिए संग्रहित धनराशि के चेक महानगर संयोजक अमित अग्रवाल व जिला संयोजक रजनीश राघव ने स्वदेशी जागरण मंच की टीम के साथ केंद्रीय पदाधिकारियों को सौंपे। अमेजन कंपनी का पुतला दहन कर पदाधिकारियों ने कहा कि इनकी वजह से आज छोटे व्यापारियों के कामधंधे चौपट हो गए हैं। इस मौके पर रजनीश राघव, अमित अग्रवाल, ह्रदेश गुप्ता, चारु गुप्ता, विनय शर्मा, रुद्रा पंडित, आदर्श भारद्वाज आदि मौजूद रहे।

https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/aligarh/aligarh-swadeshi-jagran-manch-burnt-effigy-of-amazon-company-city-office-news-ali2758999183

अमेजॉन के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच का प्रदर्शन

विदेशी ई–कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के विरुद्ध स्वेदशी जागरण मंच ने मोर्चा खोल दिया है। कंपनी के राष्ट्रव्यापी विरोध के क्रम में मंच के पूर्वी उत्तर प्रदेश काशी महानगर इकाई ने लंका स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कंपनी पर हमला बोला। इस दौरान मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय कुमार ने कहा कि अमेजॉन वाणिज्य मंत्रालय के प्रेस नोट–2 का उल्लंघन किया है। इसमें कहा गया है कि कंपनी भारत में आनलाइन व्यापार करते समय अपने सामानों का दाम खुद कम नहीं कर सकते। न ही सामानों की डंपिंग और सामानों का स्टोरेज करेंगे और न ही सामानों का 1/3 अधिक सामान किसी कंपनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अमेजॉन ने इन नीतियों का खुला उल्लंघन कर पिछले तीन वर्षो में 8452 करोड़ रूपये रिश्वत के रूप में प्रोफेसनल एडवाइजरों को बांटा है, जो सीधा भ्रष्टाचार है। मंच इसकी जांच की मांग करता है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रांत संयोजक सत्येंद्र ने लोगों को संकल्प दिलाया कि इस कंपनी को खदेड़ कर ही दम लेंगे। महानगर संयोजक कविता मालवीय ने कहा कि छोटे और फुटकर व्यापारियों के आर्थिक स्वतंत्रता में ये कम्पनी बाधक है। काशी प्रांत प्रचार प्रमुख (पूर्वी उप्र) डॉ अवनीन्द्र राय ने कहा कि मंच देश की उद्यमिता को नष्ट नहीं होने देगा। छोटे और खुदरा व्यापारियों का हित मंच के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके हित के लिए हम किसी विदेशी निवेश की वास्तविकता से खुश नहीं हो सकते। पूर्वांचल संयोजक अखिलेश मिश्र ने कहा कि अमेजॉन समेत ई–कामर्स कम्पनियों ने छोटे और मझोले व्यापारियों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है। प्रदर्शन में कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स, अखिल भारतीय व्यापार मंडल, वाराणसी व्यापार मंडल, लघु उद्योग भारती, महानगर उद्योग व्यापार समिति, दवा विक्रेता समिति, मोबाइल असोसिएशन वाराणसी, इलेक्ट्रॉनिक असोसिएशन वाराणसी,वाराणसी व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ मंच के संजय, अक्षय, चांदनी, निर्मला आदि शामिल रहे।

https://doonhorizon.in/states/uttar-pradesh/protest-of-swadeshi-jagran-manch-against-amazonphp/cid5520073.htm

वोकल फॉर लोकल से चीन को 50 हजार करोड़ रु. का झटका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने और लोकल वस्तुओं के लिए वोकल होने की अपील करते रहते हैं। हाल में पीएम मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में दिवाली पर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और लोकल फॉर वोकल के नारे को दोहराया। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के एक अनुमान के मुताबिक, पीएम मोदी की अपील के बाद लोगों के स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी से चीन को हाल के दिनों में 50,000 करोड़ रुपये के कारोबार का नुकसान हुआ है।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन का कहना है कि पीएम मोदी के स्थानीय वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की अपील के बाद बाजार में स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। अब लोग सबसे पहले स्वदेशी सामान की मांग करते हैं। कई बार लोग विदेशी समान से थोड़ा महंगा होने के बावजूद स्वदेशी सामान ही खरीद रहे हैं। कैट से जुड़े प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि प्रमुख रिटेल सेक्टर जैसे एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, किचनवेयर, गिफ्ट आइटम, पर्सनल कंज्यूमेबल्स, कंफेक्शनरी आइटम, होम फर्निशिंग, फुटवियर, घड़ियां, घर की सजावट के सामान, मिट्टी के दीयों समेत दिवाली पूजा के सामान का व्यापारियों ने मांग के हिसाब से स्टॉक कर लिया है।

भारतीय व्यापारी और निर्यातक हर साल राखी से लेकर नए साल तक चीन से करीब 70 हजार करोड़ रुपये का माल आयात करते थे। चीनी सामानों का बहिष्कार इस साल चीन के कारोबारियों पर भारी पड़ने वाला है। अनुमान के मुताबिक, राखी पर चीन को लगभग 5000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। फिर गणेश चतुर्थी में 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यही ट्रेंड दिवाली में भी दिख रहा है। अब व्यापारियों के साथ उपभोक्ता भी चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं।

डॉ. अश्वनी महाजन का कहना है कि जब अमेरिका 'बी अमेरिकन, बाय अमेरिकन' का नारा दे सकता है तो भारत स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की बात क्यों नहीं कर सकता। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने स्वदेशी का सिर्फ नारा नहीं दिया बल्कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के जरिये स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा भी दिया। कैट का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में त्योहारों के मौसम में करीब दो लाख करोड़ रुपये का आंतरिक प्रवाह हुआ है। ❑❑

https://www.palpalindia.com/2021/11/02/Delhi-pm-narendra-modi-swadeshi-diwali-impact-china-suffered-loss-50000-crores-rupees-news-in-hindi.html

स्वदेशी जैविक मेला, जोधपुर (राज.)

(23–24 अक्टूबर, 2021)

सचित्र झलक

दीपावली कार्यक्रम, केशवपुरम् (दिल्ली)

(22 अक्टूबर, 2021)

जिला सम्मेलन, बाड़मेर (राज.)

जिला सम्मेलन, जैसलमेर (राज.)

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 नवंबर 2021
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/1/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी शोध संस्थान

अर्थ संचय अभियान
(Donation Collection Campaign)

प्रमुख उद्देश्यः

स्वदेशी शोध संस्थान, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को रोजगार केंद्रित बनाना, 100 प्रतिशत रोजगार, 0 प्रतिशत गरीबी रेखा (बी.पी.एल.), 2030 तक भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर, की अर्थव्यवस्था बनाना (पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए) आदि विषयों पर विभिन्न प्रकार का शोध इस संस्थान में होगा।

(स्वदेशी शोध संस्थान का प्रस्तावित प्रारूप)

Scan and pay with Any UPI App like (BHIM, PayTM, PhonePe, Google Pay etc.)

UPI ID: paysjm@sbi

Swadeshi Jagaran Foundation,
Bank of India,
A/c :- 602510110012706, IFSC:- BKID0006025,
Branch :- Malai Mandir, RK Puram

प्रकाशक व मुद्रक ईश्वरदास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती